पशुधन विभाग
उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
(परफॉरमेंस बजट)

आय–व्ययक
वर्ष 2025–26

<u>विषय सूची</u>

विषय		पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1—7
2.	वर्ष 2024—25 हेतु प्राथमिकतायें	8
3.	विभागीय संस्थायें	8—9
4.	ई—गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम	
5.	वित्तीय आवश्यकतायें	
	(क) कार्यक्रम का वर्गीकरण	11
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	12
	(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत	13
6.	वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण	
	(1) निदेशन तथा प्रशासन	14
	(2) पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य की वित्तीय आवश्कताओं का विवरण	15—21
	(3) उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	22
	(4) पशु विकास एवं पशु प्रजनन कार्यक्रम	23
	(5) पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	23—30
	(6) कुक्कुट विकास	31—35
	(7) भेड़ तथा ऊन विकास	36—38
	(8) सूकर विकास एवं बकरी विकास	38
	(9) अन्य पशुधन विकास (राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र)	41—44
	(10) चारा तथा चारागाह विकास	45—46
	(11) प्रसार तथा प्रशिक्षण	47
	(12) प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	48—49
	(13) 800—अन्य व्यय	50
	(अ) गौशाला विकास	50—51
	(ब) चर्म शोधन एवं पशु शव का उपयोग	52
7.	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभागीय प्राप्तियॉ	53
8.	स्वीकृत पदों की सूची	54—57
9.	पशुपालन विभाग उ0प्र0 का संगठनात्मक ढॉचा	58—60

अनुदान संख्या-15

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक सर्वप्रथम सदन में वर्ष 1974-75 में प्रस्तुत किया गया था। तब से अनवरत रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विभागीय कार्यकलापों, पूर्व वर्षों की उपलब्धियों, वर्तमान लक्ष्यों एवं अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा सके। इससे वित्तीय परिव्ययों को भौतिक लक्ष्यों से सम्बद्ध करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है।

आशा है यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक वर्ष 2025-26 में परिव्ययों के उपयोग पर उचित नियंत्रण रखने में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में समुचित सहायता मिलेगी।

लखनऊ-

दिनांक-

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 11.02.2025 16:00:06

(डॉ० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव,
पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ

उत्तर प्रदेश, विशाल जन संख्या पशु संख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की 23 करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत सी अपेक्षायें है। इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संकल्प लिये गये है विशेषकर गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं सर्वधन के कार्यो को तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित छुट्टा अन्ना पशुओं से कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योजनायें संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश सरकार के संकल्प में निहित 2020 तक कृषको की आय को दोगुनी किये जाने हेतु कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत पशुधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हेतु अध्ययन दल बना कर अल्प अवधि में ऐसी सुविचारित नीति कार्य योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान आर्थिक उन्नति के लिए कुक्कुट के क्षेत्र में सफल ''कुक्कुट विकास नीति'' जैसे अन्य माडल तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने, पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराने तथा पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

पशुपालन विभाग की सरंचना

प्रदेश में पशुपालन विभाग अर्न्तगत 2 निदेशक के पद सृजित है एवं वर्तमान में निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), दोनों पदों का प्रभार ग्रहण कर कार्य किया जा रहा हैं। निदेशक द्वारा विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं कार्य कियान्वयन में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड–1), एक वित्त नियत्रंक एवं एक अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का पद भी सृजित है।

(1) मुख्य उद्देश्यः–

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कियाशील हैः–

1– प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।

2– समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।

3– पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।

4– प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।

5– विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।

6– पशुधन हेतु पर्याप्त हरे चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

7– गरीबी उन्मूलन एवं भुखमरी को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

8– गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

9– महिला सशक्तीकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

10– पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

11– उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।

12– डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।

(2) पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रमः–

1–पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।

2–गाय एवं भैंस विकास।

3–कुक्कट विकास ।

4–भेड़–बकरी विकास।

5–सूकर विकास ।

6–अन्य पशुधन विकास

7–चारा और चरागाह विकास ।

8–गौशाला एवं गो–सदनों का विकास।

9–गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण ।

10–पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम ।

11–प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय ।

12–बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें।
13–उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन।
14–वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन ।
15–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें ।
16– राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें।
17– नेशनल लाईवस्टाक मिशन की योजनायें।

उपलब्धियॉ

देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पशुधन के सर्वागीण विकास हेतु कृषकों के हित में अनेको लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है तथा उनमे गति प्रदान करने के लिये नये अभिनव प्रयोगों से प्रदेश में नयी योजनाओं के माध्यम से उन्हे लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति–2013 को पुनरीक्षित कर पशु प्रजनन नीति क्रियान्यवित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा, के साथ–साथ नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण तथा वृहद गौ–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ अस्थायी गो–आश्रय स्थल स्थापित किये जा रहे है। नस्ल सुधार हेतु सेक्स सार्टेड सीमेन के उपयोग से गोवंशीय पशुओं में मात्र बछिया उत्पादन हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत तथा पोषण–मिशन में इच्छुक कृषक/पशुपालकों को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों से गोवंश सुपुर्दगी में दिये जा रहे जो अधिकतम 4 गोवंश प्रति लाभार्थी पशुपालक दिये जाते है।

- वर्ष 2018–19 में 305.189 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन कर देश में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2019–20 में 318.639 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन किया गया है वर्ष 2020–21 में 313. 591 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन किया गया है। वर्ष 2021–22 में 338.736 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन किया गया तथा वर्ष 2022–23 में 362.414 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन किया गया है। वर्ष 2023–24 में 412.32 लाख मी0टन0 (अनन्तिम) दुग्ध उत्पादन किया गया।
- वर्ष 2018–19 में 2605.001 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है वर्ष 2019–20 में 3404.930 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है वर्ष 2020–21 में 3628.892 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है वर्ष 2021–22 में 4041.168 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया तथा वर्ष 2022–23 में 4558.548 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2023–24 में 5389.90 मिलियन (अनन्तिम) अण्डों का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में 1227.094 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है वर्ष 2019–20 में 1166. 000 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2020–21 में 1037.550 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है वर्ष 2021–22 में 1127.600 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया तथा वर्ष 2022–23 में 1191.760 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2023–24 में 1347.00 हजार टन (अनन्तिम) मांस का उत्पादन किया गया है।
- कुक्कुट विकास नीति 2022 LOC निर्गत

क्रम सं0	इकाई का प्रकार	वर्ष–2023–24	वर्ष–2024–25	नीति 2013 के अन्तर्गत पूर्व से कियाशील वर्ष–2024–25
1	लेयर 10000	45	07	375
2	लेयर 30000	25	05	316
3	लेयर 60000	19	05	–
4	पैरेन्ट 10000	04	02	43
5	कुल	93	19	

- कुक्कुट विकास नीति–2022 के अन्तर्गत अभी तक रू0 253 करोड़ का अनुमानित निवेश किया जा रहा है, 11120 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार।
- स्थापित ईकाइयों द्वारा प्रदेश में 105 लाख अण्डा प्रतिदिन उत्पादित किया जा रहा है, तथा ब्रायलर पैरेन्ट ईकाइयों से 50.00 लाख चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहे हैं।

- बैकयार्ड पोल्ट्री–वर्ष 2023–24 में 16666 लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत की पूर्ति।
- वर्ष 2024–25 में 16666 ईकाईयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2023–24 में एफ0एम0डी0 टीकाकरण में 4,73,74,350 लक्ष्य के सापेक्ष समपूर्ण टीकाकरण कर शत–प्रतिशत पूर्ति की गयी तथा वर्ष 2024–25 में 4,73,70,350 लक्ष्य के सापेक्ष 1,07,70,000 टीकाकरण किया गया। एच0एस0 टीकाकरण में 4,16,29,000 लक्ष्य के सापेक्ष 3,78,61,472 टीकाकरण किया गया, तथा वर्ष 2024–25 में 4,16,29,000 लक्ष्य के सापेक्ष 2,06,24,585 टीकाकरण किया गया। वर्ष 2023–24 में ब्रुसेल्ला टीकाकरण में 7,03,3000 लक्ष्य के सापेक्ष समपूर्ण टीकाकरण कर शत–प्रतिशत की पूर्ति की गयी तथा वर्ष 2024–25 में 40,26,000 लक्ष्य के सापेक्ष 34,00740 टीकाकरण किया गया। वर्ष 2023–24 में एल0एस0डी0 टीकाकरण में 1,60,00000 लक्ष्य के सापेक्ष 1,59,56700 टीकाकरण किया गया तथा वर्ष 2024–25 में 1,60,00000 लक्ष्य के सापेक्ष समपूर्ण टीकाकरण कर शत–प्रतिशत पूर्ति की सम्भावना है। वर्ष 2023–24 में पी0पी0आर0 टीकाकरण में 1,55,92600 लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत टीकाकरण किया गया है।
- वर्ष 2023–24 में 41 जनपद एल0एस0डी0 बीमारी से प्रभावित हुये, जिसमें 10,649 गोवंश लम्पी बीमारी से प्रभावित हुये थे। वर्ष 2023–24 में प्रभावित 41 जनपदों में 1,05,02,300 गोवंश का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कुल 1,59,56,700 गोवंश का एल0एस0डी0 उपरान्त टीकाकरण किया गया। प्रदेश के जनपद–बलरामपुर, महराजगंज, कुशीनगर,देवरिया, गोरखपुर एवं लखनऊ में लम्पी प्रो–वैक वैक्सीन का ट्रायल कराया गया।
- वर्ष 2024–25 में अभियान चलाकर अद्यतन 205.344 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। अभी तक कुल कब्जामुक्त भूमि 6986 हे0 में से 3462 हे0 भूमि पर नेपियर तथा अन्य हरा चारा उगाया गया है। जिसमें कुल 4087 गौ आश्रय स्थलों में उक्त कब्जामुक्त भूमि चारा उत्पादन हेतु टैग की गयी है।वर्ष 2018–19 में 133 लाख, वर्ष 2019–20 में 140.80 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। वर्ष 2020–21 में 144.86 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। वर्ष 2021–22 में 87.95 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2022–23 में वार्षिक लक्ष्य 174 लाख के सापेक्ष 166.22 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2023–24 में 212. 17 लाख के सापेक्ष 216.48 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया तथा वर्ष 2024–25 में 216.300 लाख के सापेक्ष माह जून 2024 तक कुल 7.250 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया।

- वर्ष 2024–25 में अभियान चलाकर अद्यतन 205.344 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। अभी तक कुल कब्जामुक्त भूमि 6986 हे0 में से 3462 हे0 भूमि पर नेपियर तथा अन्य हरा चारा उगाया गया है। जिसमें कुल 4087 गौ आश्रय स्थलों में उक्त कब्जामुक्त भूमि चारा उत्पादन हेतु टैग की गयी है।
- प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा पशुओं से फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गोसंरक्षण के लिये अस्थाई गोआश्रय स्थल–6614,गोवंश वन्य विहार/वृहद गोसरंक्षण केन्द्र–321, कांजी हाउस–320, कान्हा गोशाला–283, अर्थात कुल 7556 गो–आश्रय स्थलों में अद्यतन 1184065 गोवंश संरक्षित है, सुपुदर्गी में दिये गये गोवंश–138686, गोवंश के भरण–पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 तक रू0 68161.22 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 670.41 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 75 वृहद गोसरंक्षण केन्द्रों के सापेक्ष 75 केन्द्रों हेतु निर्माण की प्रथम एवं द्वितीय किस्त रू0 90.00 लाख अवमुक्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल व्यय धनराशि रू0 7920 लाख (99 स्वीकृत वृ0गो0सं0के हेतु प्रथम किस्त के रूप में) जनपदों को निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि द्ध 1400.00 लाख के सापेक्ष प्राप्त स्वीकृतियों धनराशि रू0 6572.00 लाख, अब तक 503 वृ0गो0सं0के0 के सापेक्ष कृल धनराशि अवमुक्त रू0 60372.00लाख।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में 353.13 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 474.29 लाख पशुओं में चिकित्सा की गई। वर्ष 2024–25 में 353.13 लाख लक्ष्य के सापेक्ष जून 2024 तक 3.84 लाख पशुओं में चिकित्सा की गई।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में 30.17 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 37.07 लाख पशुओं का बधियाकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 30.18 लाख लक्ष्य के सापेक्ष मई 2024 तक 1.54 लाख पशुओं का बधियाकरण किया गया।

- प्रदेश में विभाग द्वारा गोशालाओं का पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। अद्यतन 592 गोशालायें पंजीकृत हैं।
- डी0बी0टी0 के माध्यम से गौशालाओं के भरण–पोषण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 47 जनपदें में 2557 गौशालाओं को 30 करोड 81 लाख रू0 धनराशि दी गई है।
- प्रक्षेत्र पर उत्पादित चारा बीज का वर्ष 2017–18 में 8581.87(कु0)वर्ष 2018–19 में 9858.1(कु0) वर्ष 2019–20 में 11004.79(कु0) वर्ष 2020–21 में 10093.8(कु0) वर्ष 2021–22 में 10174.87(कु0) वर्ष 2022–23 में 8814.97(कु0) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वितरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में पशुपालको को जई बीज 6900 कु0, बरसीम बीज 112.82 कु0 पशुपालको को वितरित किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत 08.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष वर्ष मार्च, 2024 तक 555776 किसान केडिट कार्ड (पशुपालन घटक) पशुपालकों को निर्गत किये गये हैं।

पशुपालन विभाग पशुपालक के द्वार पर मोबाइल वेटनरी यूनिटः–

- मोबाईल वेटरिनरी यूनिट की स्थापना योजना भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम ''पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना'' अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है, जिसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश के पशुपालक निःशुल्क सहायता हेतु टोल फ्री नं0–1962 पर काल कर सकेंगे। योजनान्तर्गत पशुचिकित्सा सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों के पशुधन के लिये प्रति एक लाख पशुधन की संख्या पर एक मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की दर से कुल 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट वर्तमान में प्रदेश में संचालित है। प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक पशुचिकित्साविद, एक मल्टी टास्क पर्सनल एवं एक ड्राईवर की व्यवस्था कर कुल 1560 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का कार्य किया गया। मोबाईल वेटरिनरी यूनिट द्वारा वर्ष 2023–24 में 11.61 लाख पशुपालकों के 19.09 लाख पशुओं को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्ष 2024–25 में अद्यतन 3,80,639 लाख पशुपालकों के 8,34,950 पशुओं को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेलाः–

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 2463 विकास खण्ड स्तरीय शिविरों/मेलों–कुल 16,89,887 पशुओं को पंजीकृत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 18 मंडल स्तरीय शिविरों/मेलों का आयोजन कर कुल 1,57,716 पशुओं को पंजीकृत।
- वर्ष 2024–25 में दिनांक 15.09.2024 से 31.10.2024 तक में आयोजन प्रस्तावित।

जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमाः–

- पशुधन बीमा–वर्ष 2023–24 में 173300 लक्ष्य के सापेक्ष 89084 पशुओं का बीमा वर्ष 2024–25 में 541666 लक्ष्य के सापेक्ष 24.07.2024 तक 42007 पशुओं का बीमा।

लघुपशु विकासः–

- बकरी पालन की योजना (राज्य योजना)–प्रति बकरी इकाई (01 नर, 05 मादा बकरियां) प्रति इकाई लागत रू0 45000/–है। जिसके 90 प्रतिशत अनुदान स्वरूप रू0 40500/–एवं 10 प्रतिशत रू0 4500/–लाभार्थी
- वर्ष 2023–24 में 739 बकरी इकाइयों की स्थापना।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में 739 बकरी पालन इकाइयों का लक्ष्य।
- बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान–प्रथम चरण में 35 जनपदों में 490 केन्द्र
- 250 रेमबुले नस्ल के उन्नत मेढ़े 11 जनपदों में उपलब्ध कराया जाना–अद्यतन 06 जनपदों में 100 मेढ़ें वितरित

(3) पशुधन का स्तरः

पशुगणना वर्ष 2012 (19वीं पशुगणना) व वर्ष 2019(20वींपशुगणना) के अनुसार प्रदेश में पशुधन संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शित है :–

उत्तर प्रदेश में 19वी 20वीं पशुगणना में प्रजातिवार वृद्वि/ह्रास का विवरण–

पशु प्रजाति का विवरण	पशुओं की संख्या वर्ष 2012(लाख में)	पशुओं की संख्या वर्ष 2019(लाख में)	वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
1–विदेशी और क्रासबेड गोवंशीय	35.79	61.23	71.07
दूध दे रही	12.15	22.67	86.60
सूखी	4.45	6.84	53.81
दुधारू	16.60	29.51	77.81
प्रजनन योग्य	17.96	30.65	70.66
2–स्वदेशी गौवंशीय			
स्वदेशी	159.78	128.97	-19.28
दूध दे रही	46.68	39.37	-15.66
सूखी	19.27	16.52	-14.27
दुधारू	65.95	55.89	-15.25
प्रजनन योग्य	71.12	58.71	-17.45
3–कुल गौवंशीय			
कुल गौवंशीय	195.57	190.20	-2.75
दूध दे रही	58.83	62.04	5.46
सूखी	23.72	23.36	-1.52
दुधारू	82.55	85.40	3.45
प्रजनन योग्य	89.08	89.36	0.31
4– महिषवंशीय			
कुल महिषवंशीय	306.25	330.17	7.81
दूध दे रही	105.38	113.20	7.42
सूखी	34.12	33.01	-3.25
दुधारू	139.50	146.21	4.81
प्रजनन योग्य	151.03	153.12	1.38
अन्य पशुधन			
भेड	13.54	9.85	-27.25
बकरी	155.86	144.80	-7.10
सूकर	13.34	4.09	-69.34
अन्य पशुधन	2.60	1.03	-60.38
कुल पशुधन	697.25	691.98	-0.76
कुक्कुट	186.68	125.16	-32.95

1–पशुगणना वर्ष 2021 व वर्ष 2019 के कुल पशुधन में छुट्टा गौवंशीय क्रमशः 10.09 लाख एवं 11. 84 लाख को शामिल किया गया है।

(4) उत्पादकता एवं उत्पादनः

अ–उत्पादकताः–

वर्ष 2020–21 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विभिन्न पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन तथा प्रति पशु की औसत उत्पादकता निम्नवत हैः–

क्र0	**पशुजन्य पदार्थ का नाम**	**पशु प्रजाति का नाम**	**इकाई**	**औसत उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन**	
				वर्ष 2021–22	**वर्ष 2022–23 (अनन्तिम)**
1	**दुग्ध उत्पादन**	क–भारतीय गाय	किग्रा0	3.458	3.764
		ख–वर्णसंकर	किग्रा0	8.448	8.973
		ग– औसत सम्पूर्ण	किग्रा0	4.157	5.027
		घ–भैंस	किग्रा0	4.519	5.487
		ड.–बकरी	किग्रा0	0.798	0.69
		क–विदेशी गाय	किग्रा0	9.39	9.76
		ख–कास ब्रीड गाय	किग्रा0	7.46	8.27
		ग–स्वदेशी गाय	किग्रा0	3.94	4.06
		घ–अवर्णित गाय	किग्रा0	3.2	3.25
		ड.–स्वदेशी भैंस	किग्रा0	5.09	5.62
		च– अवर्णित भैंस	किग्रा0	4.12	4.32
2	**अण्डा उत्पादन**	क–अवर्णित	संख्या	147.66	180.813
		ख–उन्नतिशील	**संख्या**	261.73	260.233
		ग–औसत सम्पूर्ण	**संख्या**	2448.780	253.458
3	**ऊन उत्पादन**	**भेड़**	**किलोग्राम**	0.926	0.995

तुलनात्मक उत्पादकता स्थिति (पशुपालन)								
उत्पाद	उत्पादकता स्थिति							
	2019–20 लक्ष्य	2019–20 पूर्ति	2020–21 लक्ष्य	2020–21 पूर्ति	2021–22 लक्ष्य	2021–22 पूर्ति	2022–23 पूर्ति	2023–24 पूर्ति
दूध (lac MT)	369.46	318.639	401.00	313.591	435.00	338.736	362.417	412.320
अण्डा (lac nos)	32105.500	34049.294	35000	36288..906	38850.00	40411.68	45585.48	5401.430
ऊन (lac kg)	14.580	13.286	14.87	8.863	15.160	8.151	8.19	8.290
मॉस (thosand T)	1438.800	1411.900	1510	1037.550	1586.00	1127.60	1191.76	1322.000

ब–उत्पादन स्तरः– प्रदेश में पशुओं का उत्पादन स्तर निम्नलिखित हैः–

<u>(5) विभागीय आय–व्ययक स्तरः–</u> (अनुदान संख्या–15 के अधीन)

विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की गयी है। विभाग के अन्तर्गत निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैः–

1. निदेशन तथा प्रशासन
2. पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
3. पशु तथा भैंस विकास
4. कुक्कुट विकास
5. भेड़ तथा ऊन विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा तथा चारागाह विकास
8. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय
9. पशु चिकित्सा शिविर एवं प्रचार–प्रसार

वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा निम्न धनराशि का आय–व्ययक प्राविधान हुआ है जिसका विवरण निम्नवत है :–

क0सं0	मद का नाम	(रू0 लाख में)
		आय–व्ययक प्राविधान
1	अधिष्ठान	156217.29
2	आकस्मिक	289995.65
	योग मतदेय	446212.94
	भारित	13.79

<u>पशुपालन का उद्देश्य</u>

1. मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्दि करना।
2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
3. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
7. बैक्यार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
8. कुक्कुट विकास कार्यक्रम में उद्यमिता का विकास करना।
9. कृषि उत्पादन हेतु जैविक खाद की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

<u>प्रक्रियात्मक रणनीति</u>

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायें जाने हेतु बल दिया गया हैः –

1. पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
2. संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
3. पशुओं में अनुउर्वता निवारण शिविरों का आयोजन करना ।
4. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाया जाना।
5. कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों एवं कामर्शियल लेयर इकाईयों की स्थापना।
6. कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।

7. सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
8 स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2024–25 हेतु प्राथमिकतायें

1. दुधारू पशुओं की तस्करी को रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
2. अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
3. फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गोवंश संरक्षण की योजना।
4. प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना।
5. कृषकों की आय को दोगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
6. विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन पशुचिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
7. किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएँ तैयार करना तथा उनके कियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
8. आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत 08.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष वर्ष मार्च, 2024 तक 555776 किसान केडिट कार्ड (पशुपालन घटक) पशुपालकों को निर्गत किये गये हैं।

विभागीय संस्थाएं

क0सं0	संस्था का नाम	वर्ष 2022–23 की वास्तविक स्थिति
1.	पशु चिकित्सालय	2239 (2202 क्रियाशील)
2.	पशु सेवा केन्द्र	2575
3.	द श्रेणी पशु औषधालय	267
4.	पालीक्लीनिक	25 (06 क्रियाशील) एवं 10 पॉलीक्लीनिक के पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5.	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01 प0चि0अ0 का पद सृजित
6.	मण्डलीय प्रयोगशाला	10 अस्थायी रूप से क्रियाशील (पद सृजित नहीं)
7.	जनपदीय प्रयोगशाला	65 अस्थायी रूप से क्रियाशील(पद सृजित नहीं)
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5044
9.	तरल नत्रजन केन्द्र	02
10.	अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
11.	सघन भेड़ विकास प्रायोजना	01
12.	मेढ़ा केन्द्र	05
13.	भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र	180
14.	भेड़ प्रक्षेत्र	02
15.	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	04
16.	भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी	01
17.	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र	10
18.	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	06
19.	सूकर रोग निदान प्रयोगशाला	01
20.	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
21.	बतख प्रक्षेत्र	01
22.	बटेर प्रक्षेत्र	01
23.	कुक्कुट काम्प्लेक्स	08

24.	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	01	
25.	सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब	02	
26.	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01	
27.	कुक्कुट प्रक्षेत्र	04	(01क्रियाशील)
28.	पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट	02	
29.	पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी	01	
30.	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र	06	
31.	बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी	09	
31.	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला,	01	
32.	टी0बी0ब्रूसेला एवं जोनाईन यूनिट,	01	
33.	आहार पारक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01	
34.	इपिडिमियोलॉजी यूनिट, मुख्यालय	01	
35.	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट	10	
36.	पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ	01	
37.	एन0ए0डी0सी0पी0 सेल	01	

ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्य

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई–गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट **(https://animalhusb.upsdc.gov.in)** क्रियाशील है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न योजनाओं आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय–समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करायी गई हैं। बेवसाइट पर सभी पशुचिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 20वीं पशुगणना के ऑकडे भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये है। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियॉ, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त कार्यो का संपादन आनलाइन किया जा रहा है।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई–मेल एवं बेवसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई–पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। पेंशन प्रकरणो का निस्तारण पूर्णतया आनलाइन किया जा रहा है। बजट आवंटन प्रकिया को भी पूर्ण रुप से कम्पयूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य आनलाइन किया जा रहा है।

विभाग के सात कार्यक्रम निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, मा0 मुख्यमन्त्री जी गोवंश सहभागिता योजना, वृहद गो संरक्षण केन्द्रो का निर्माण, पशुओ में कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं का टीकाकरण, अण्डा उत्पादन एवं गोशालाओ के पंजीकरण को आनलाइन कर मा0 मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड **दर्पण** से इनटीग्रेट किया गया है जिसका अनुश्रवण मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा किया जाता है।

गोआश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंशो के रियल टाइम अनुश्रवण, प्रबन्धन एवं डी0बी0टी0 के माध्यम से गोआश्रय स्थलों को भरण–पोषण की धनराशि हस्तान्तरित करने हेतु निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत गो–आश्रय पोर्टल एवं मोबाइल एप के द्वारा गोआश्रय स्थलों में गोआश्रय प्रबन्धन, आधारभूत संरचना प्रबन्धन एवं फन्ड प्रबन्धन का काय संपादित किया जा रहा है।

विभागीय अधिकारियो/कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, वार्षिक चरित्र प्रविष्टि, चल अचल सम्पत्ति का विवरण, ज्वाइनिंग/रिलीविंग आदि कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन संपादित किये जा रहे है। जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अधीन विभाग की सेवा गोशालाओं के पंजीकरण को आनलाइन किया गया है, जिसके माध्यम से गोशालाओं का पंजीकरण जनसुविधा केन्द्रो के माध्यम से भी कराया जा सकता है। प्रदेश के पशुचिकित्साविदों का आनलाइन पंजीकरण एवं नवीनकरण उ0प्र0 पशुचिकित्सा परिषद द्वारा किया जा रहा है।

LHDCकार्यक्रम के अधीन ESVHD-MVU योजनान्तर्गत प्रदेश में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट वाहन संचालित है। योजनान्तर्गत पशुसेवा केन्द्रो/पशुचिकित्सालयो से 02 किमी. की परिधि के बाहर दूरस्थ क्षेत्रो के पशुपालको को निर्धारित रूट वाहनो द्वारा नियमित पशु स्वास्थ्य शिविरो तथा गम्भीर बीमारियो की आकस्मिकता में टोलफ्री नं0 1962 भी जारी किया गया है। योजना की मानिटरिंग, फीड बैक एवं प्रगति संबंधित MIS के लिये निदेशालय मे एकीकृत कन्ट्रोल एवं कमान्ड सेन्टर स्थापित किया गया है।

सरकार की मंशा के अनुरूप पेपरलेस कार्यप्रणाली के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर ई– आफिस प्रणाली लागू की गई है। प्रणाली के माध्यम से निदेशालय में पत्रावलियो का व्यवहरण प्रारम्भ कर दिया गया है। मंडलीय एवं जनपदीय कार्यालयो में भी प्रणाली को लागू किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित भारत पशुधन एप के माध्यम से प्रदेश के समस्त गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं मे किये गये कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, ईयर टैगिंग एवं स्वास्थ्य संबंधी डाटा का अंकन किया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

वित्तीय आवश्यकतायें

(तालिका—क)

क—कार्यक्रम का वर्गीकरण (धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक आंकडें	आय—व्ययक अनुमान
	2023—24	2024—25
001—निदेशन तथा प्रशासन	89273.07	145537.93
101—पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	39999.43	50500.93
102—पशु तथा भैंस विकास	107992.18	114175.62
103—कुक्कुट विकास	1692.51	3587.20
104—भेड़ तथा ऊन विकास	540.65	491.66
106—अन्य पशुधन विकास	7104.19	8927.02
107—चारा तथा चारागाह विकास	199.99	200.00
109—विस्तार तथा प्रशिक्षण	0.00	0.00
113—प्रशासनिक अन्बेषण तथा सांख्यकीय	185.60	718.50
800—अन्य व्यय	19088.58	21973.88
2013—मंत्रि परिषद	0.00	0.20
योग—मतदेय	266076.20	346112.94
भारित	0.00	13.79

कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान	आय—व्ययक अनुमान
	2024—25	2025—26
001—निदेशन तथा प्रशासन	115158.86	150071.04
101—पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	46547.05	51787.44
102—पशु तथा भैंस विकास	192836.32	222293.93
103—कुक्कुट विकास	3225.20	3587.20
104—भेड़ तथा ऊन विकास	481.48	491.66
106—अन्य पशुधन विकास	7837.55	8898.00
107—चारा तथा चारागाह विकास	200.00	264.00
109—विस्तार तथा प्रशिक्षण	0.00	300.00
113—प्रशासनिक अन्बेषण तथा सांख्यकीय	696.40	7718.50
800—अन्य व्यय	18224.34	21973.88
2013—मंत्रि परिषद	0.16	0.20
योग—मतदेय	385207.36	467382.85
भारित	13.79	13.79

(ख)**उद्देश्यवार वर्गीकरण** (तालिका ख) (धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक आंकडें	आय—व्ययक अनुमान
	2023—24	**2024—25**
1—वेतन	61666.70	95227.37
2—सहायता अनुदान—सामान्य(वेतन)	4288.67	6179.78
3—महगाई भत्ता	27499.35	52375.06
4—यात्रा भत्ता	141.08	202.92
5—अन्य भत्ता	52.94	46.47
6—पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	2.58	0.00
7—मकान किराया भत्ता	2008.99	2388.61
8—प्रासांगिक :— सामान्य	146204.13	156845.51
9—पूॅजीगत परिव्यय	24211.76	32847.22
कुल योग	266076.20	346112.94
भारित	0.00	13.79
कार्यक्रम	**पुनरीक्षित अनुमान**	**आय—व्ययक अनुमान**
	2024—25	**2025—26**
1—वेतन	74658.26	95161.37
2—सहायता अनुदान—सामान्य(वेतन)	5129.22	6179.78
3—महगाई भत्ता	41062.05	57096.83
4—यात्रा भत्ता	202.92	202.20
5—अन्य भत्ता	36.43	46.47
6—पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	—	0.00
7—मकान किराया भत्ता	2388.61	2384.61
8—प्रासांगिक :— सामान्य	234507.81	272986.88
9—पूॅजीगत परिव्यय	27222.06	33324.71
कुल योग	385207.36	467382.85
भारित	13.79	13.79

(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत (तालिका ग) (लाख रू0 में)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	**वास्तविक आंकडें**	**आय–व्ययक अनुमान**
	2023–24	**2024–25**
15–.2013–मंत्रि परिषद	0.00	0.20
15–2403–पशुपालन	241864.44	313265.52
15–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	24211.76	32847.22
कुल योग	266076.20	346112.94
भारित	0.00	13.79
अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	**पुनरीक्षित अनुमान्**	**आय–व्ययक अनुमान**
	2024–25	**2025–26**
15–2013 मंत्रि परिषद	0.16	0.20
15–2403 पशुपालन	357985.14	434057.94
15–.4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	27222.06	33324.71
कुल योग	385207.36	467382.85
भारित	13.79	13.79

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

1–निदेशन तथा प्रशासन

वित्तीय माँग धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	**2024–25**
निदेशन तथा प्रशासन	89273.07	145537.93
भारित	0.00	13.79

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान्	आय–व्ययक अनुमान
	2024–25	**2025–26**
निदेशन तथा प्रशासन	115158.86	150071.04
भारित	13.79	13.79

कार्यभार का सारांश, वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

विभागीय कार्यकलापों का संचालन/अनुश्रवण मण्डल स्तर पर अपर निदेशक ग्रेड–2 तथा जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन के साथ–साथ प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी किया जाता है।

रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन

स्वस्थ पशु देश की चल सम्पत्ति हैं। रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी रहा है। जिससे पशुपालकों के मूल्यवान पशु की रक्षा होती है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक गरीब पशु स्वामी को इस निमित्त एक ओर तो उसके मूल्यवान पशु का जीवन सुरक्षित हो जाता है और दूसरी ओर संक्रामक बीमारी हो जाने पर इसके दुष्प्रभाव से संबंधित क्षेत्र के अन्य पशु भी सक्रमित होने से बच जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता में सतत वृद्धि होतीपशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ में विभिन्न प्रकार की विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकों (वैक्सीनों) का उत्पादन प्रदेश के 'ड्रग्स' एवं कास्मेटिक्स ऐक्ट' के अनुसार विधिवत् निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लाइसेन्स प्राप्ति के उपरान्त वैक्सीन उत्पादन का कार्य किया जा सकेगा। किया जाता है। संस्थान में इनके उत्पादन के पश्चात् प्रयोगात्मक पशुओं पर इनका परीक्षण तथा विश्लेषण कर उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही वितरण हेतु इन्हें जारी किया जाता है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार उत्पादित वैक्सीनों का वितरण संस्थान द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 2022–23 में विभिन्न 08 प्रकार की वैक्सीनों का उत्पादन नही किया जा सका। जैसा कि क्रमशः तालिक–1 व 2 में दर्शाया गया है।

तालिका–1 रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन (खुराक.......... लाख में)

जैविक औषधियों के नाम	2022–23 (वास्तविक)		2023–24 (वास्तविक)		2024–25 (वास्तविक)	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	ड्रग लाइसेन्स न होनें के कारण वर्ष 2024–25 मे वैक्सीन उत्पादन नहीं किया गया।		ड्रग लाइसेन्स न होनें के कारण वर्ष 2024–25 मे वैक्सीन उत्पादन नहीं किया गया।		ड्रग लाइसेन्स न होनें के कारण वर्ष 2024–25 मे वैक्सीन उत्पादन नहीं किया गया।	
2. आर0डी0(आर0–2बी) वैक्सीन						
3. फाउल पाक्स वैक्सीन						
4. स्वाइन फीवर वैक्सीन						
5. एच0एस0एलम वैक्सीन						
6. बी0क्यू0 वैक्सीन						
7. टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन						
8. इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन						

नोटः– संस्थान द्वारा ड्रग लाइसेन्स प्राप्त करनें हेतु कार्यवाही की जा रही है अतः ड्रग लाइसेन्स प्राप्त होनें के उपरान्त वैक्सीनों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

तालिका–2 वैक्सीन की उपलब्धि एवं वितरण की स्थिति (खुराक... लाख में)

जैविक औषधियों के नाम	2023–24 (वास्तविक)		2024–25 (वास्तविक) 26.09.2024 तक	
	वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण	वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण
1. आर0डी0 (आर0 2बी वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
2. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
3. फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
4. स्वाइन फीवर वैक्सीन	8.23	4.13	4.10	4.04
5. एच0एस0 जैल वैक्सीन	446.70	402.02	437.17	402.04
6. बी0क्यू0 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
7. टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
8. इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
9. पी0पी0आर0 वैक्सीन	20.54	20.54	0.00	0.00
10. ब्रुसेल्ला वैक्सीन	5.45	5.21	7.61	7.56
11. एन्टी रैबीज(प्रिबाईट)	4.74	3.73	2.01	1.00
12. एन्टी रैबीज(पोस्टबाईट)	7.00	0.00	7.00	6.83
13. गोट पॉक्स वैक्सीन	139.47	137.03	163.44	151.15
14. एफ0एफ0डी0 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
15. एल0एस0डी0 वैक्सीन	0.15	0.15	0.00	0.00
योग–	**632.28**	**572.81**	**621.33**	**572.62**

नोटः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में एच0एस0 वैक्सीन 392.50 लाख खुराक निदेशालय द्वारा क्रय कर संस्थान को वितरण हेतु उपलब्ध करायी गई है।

पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग — **धनराशि (रू0 लाख में)**

लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	**2024–25**
101– पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	39999.43	50500.93

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2024–25	**2025–26**
101– पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	46547.05	51784.44

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

परिचयात्मकः–

कृषि के साथ–साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गावों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में **पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य** एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरन्तर आवश्यकता अपरिहार्य होने के कारण पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ गया है।

उद्देश्यः–

1– प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना ।

2– पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निपादित करना ।

3– अनियन्त्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिये जाने हेतु अवर्णितव अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना ।

4– प्रदेश में स्थापित पशुचिकित्सा पाली क्लीनिक के माध्यम् से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।

5– जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम् से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जॉच, पैथालोजी की सुविधा उपलब्ध कराना।

6– पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करना।

7– प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।

8– ''रिण्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य करना।

9– पशुरोग नियंत्रण की योजना (60 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।

10–स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।

11–रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन, जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा, किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

12–भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित(अनावर्ती–100 प्रतिशत एवं आवर्ती–60 प्रतिशत) ई0एस0वी0एच0डी0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 प्रदेश में 520–मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना कर पशु पालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

13–प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज (एल.एस.डी.) बीमारी की रोक–थाम एवं नियन्त्रण हेतु व्यापक कार्यवाही की जा रही है। जिसके सापेक्ष बीमारी की रोक–थाम में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहें हे।

14–बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाये इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के समस्त विकास खण्डीय पशु चिकित्सालयों पर 47 सचल वाहन तथा साथ ही जनपद–मैनपुरी,बलिया, एवं बाराबंकी हेतु 01–01 सचल वाहन उपलब्ध कराये गये है। इन वाहनों के माध्यम से पशुपालको के द्वार पर पशुचिकित्सा एवं पशु विकास सम्बन्धी विविध सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

<u>कार्यों का विवरण एवं निर्वाहन</u>

1– पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथामः–

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 ''द'' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही वर्तमान में 31–नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना अन्तर्गत 14 पशुचिकित्सालय मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बनकर तैयार पशुचिकित्सालयों को हस्तगत करा दिया गया हैं। उक्त के अतिरिक्त 5 नवीन स्वीकृत पशु चिकित्सालय वर्तमान में निर्माणाधीन है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत–प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधायें पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 825–सचल ईकाईयां भी क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी, परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष 05 नवीन पशु चिकित्सालय एवं 01 आवासीय पशु चिकित्सालयों के स्थापना की कार्यवाही की गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10–नवीन पशुचिकित्सालयों के स्थापना का प्रस्ताव है के सापेक्ष पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित कर दी गयी है। निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

(ब) पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण(पशु चिकित्सालयो का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था) –75 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150–तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81–तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण। वित्तीयवर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत अन्य 50–पशु चिकित्सालयों पर भी निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत 37–पशु चिकित्सालयों पर निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित(अनावर्ती–100 प्रतिशत एवं आवर्ती–60 प्रतिशत) ई0एस0वी0एच0डी0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रदेश में 520–मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना कर पशुपालकों के द्वार पर हाईब्रिड मोड (आकस्मिक एवं शेड्यूल्ड रूट) के द्वारा पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त कार्य हेतु प्रदेश को पांच पैकेज में विभक्त कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2–पॉलीक्लीनिक की स्थापना :–

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पॉच पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत–बागपत तथा सैफई–इटावा में कार्यरत है, जिनके माध्यम से रेडियोंलाजिस्ट, सर्जन एवं गायनाकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएं (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2014–15 में जनपद–बस्ती में स्वीकृत नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक, बस्ती की स्थापना अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश के अन्य 15–मण्डलीय जनपदों के मुख्यालय पर नाबार्ड द्वारा वित–पोषित योजना–ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) अन्तर्गत एक–एक नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की कार्य–योजना अनुमोदित है। उक्त के सापेक्ष 08–पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों (आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट धाम–बांदा, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी, झॉसी) का वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष 08 पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्यपूर्ण एवं साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवशेष 07–पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों (प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, कानपुर, देवीपाटन–गोण्डा, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बरेली) के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 02 पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्यपूर्ण एवं 05 प0चि0 पालीक्लीनिक का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रामसभा–मदावली, विकासखण्ड व तहसील–टूण्डला, जनपद–फिरोजाबाद में नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद–मथुरा में एक नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की गई है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद–बरेली (ऑवला) तथा साल्लियां जनपद शाहजहापुर में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। निमार्ण। कार्य प्रक्रियाधीन की अवस्था में है।

3–रोग निदान तथा बीमारियों की खोजः–

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालायें मंडलों पर क्रियाशील हैं, जिनके द्वारा पशुरोगों की जाचॅ एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2004–05 में मण्डलीय प्रयोगशाला वाराणसी एवं अयोध्या, वर्ष 2005–06 में बरेली, मुरादाबाद तथा वर्ष 2006–07 में प्रयागराज एवं आगरा तथा वर्ष 2007–08 में मेरठ में प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकरण किया गया है। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2009–10 तक झांसी व कानपुर प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2010–11 में अलीगढ़ में स्थापित स्वाइन फीवर प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्त–पोषण से प्रदेश के अन्य 65–जनपदों के मुख्यालय पर एक–एक नवीन रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। निदेशालय अन्तगर्त केन्द्रीय लैब भी संचालित है।

4– पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यकमः–

(1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य 2017–18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।

(2) पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–एस्कैड–60–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्ययोपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017–18 में रिवैलीडेशन की

धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75–जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम् से प्रदेश में सम्प्रति एच0एस0 टीकाकरण कार्यकम निरन्तर चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्तमान में राज्य योजना से वित्त पोषित है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–एस्कैड–योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरूक करने हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटेनरी कार्मिकों को समय–समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता हैं।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(एस्कैड)–योजना अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रूप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिये इण्डो–पैरासिटिक कण्ट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में सत्त क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017–18 में समस्त 75–जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम–पी0पी0आर0–सी.पी.(60प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत किया जा रहा है। अब भारत सरकार द्वारा अब यह कार्यक्रम पी.पी.आर. (ई.पी.) के तहत संचालित कराया जा रहा है।

(4) वित्तीय वर्ष 2003–04 से वर्ष 2013–14 तक खुरपका–मुॅहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17–जनपदों सम्प्रति 20–जनपदों में कुल 15–चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका–मुॅहपका रोग–नियंत्रण कार्यक्रम (एफ.एम.डी.–सी.पी.) का विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75–जनपदों को आच्छादितकर 16वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.–टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 25वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.–टीकाकरण अभियान दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 से चलाया गया है। उक्त अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तराल पर आगामी चरणों में एफ.एम.डी.–टीकाकरण का नियमित अभियान राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.डी.सी.पी.) अन्तर्गत चलाया जाना प्रस्तावित है। एफ.एम.डी. टीकाकरण अभियान (एन.ए.डी.सी.पी. अन्तर्गत) चलाया जा रहा है।

एन0ए0डी0सी0पी0–खुरपका–मुँहपका एवं ब्रुसेल्लोसिस का टीकाकरण भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है,जो कि शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। एफ0एम0डी0 एवं ब्रुसेल्ला टीकाकरण हेतु वैक्सीन की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा जनपदवार/मण्डलवार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत आवंटित बजट धनराशि के सापेक्ष रूपये 2237.27 लाख धनराशि का व्यय किया गया।

खुरपका–मुँहपका– खुरपका–मुँहपका रोग से बचाव हेतु गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का वर्ष में दो बार एफ0एम0डी0 टीकाकरण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का लक्ष्य 520 लाख निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश के समस्त जनपदों में 47374350 पशुओं को एफ0एम0डी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया।

ब्रुसेल्लोसिस– वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1452170 लाख पशुओं का ब्रुसेल्लोसिस बीमारी का टीकाकरण किया गया।

नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन0ए0डी0आर0एस0)–यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजना है। इस योजनान्तर्गत 47 बीमारीयों की निर्धारित प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट प्रदेश के समस्त जनपदों से एकत्र करने के पश्चात मुख्यालय स्तर पर संकलित कर भारत सरकार को प्रत्येक माह प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से विगत चार वर्षों से इस योजनान्तर्गत बजट धनराशि अप्राप्त है।

(5) पशुरोग महामारी की निगरानी तथा उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996–97 से अब तक 153 बीमारियों का सर्वे प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर रोग का सर्वे किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम(100प्रतिशत के0पो0)–योजना के माध्यम् से चलाया जा रहा है।

(6) राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0, ब्रूसैल्ला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बोवाईन स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोग के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगाशाला तथा टी0बी0 ब्रूसैल्ला यूनिट स्थापित है। वर्तमान समय में 9 स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एंव 10 कैनाईन रैबीज यूनिट एवं 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित हैं।

(7) पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत नेशनल कण्ट्रोल प्रोग्राम ऑन ब्रुसैल्लोसिस(एन.सी.पी.बी.)–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय पोषण से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में गर्भाधान होने के उपरान्त होने वाले संक्रामक गर्भपात (ब्रुसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाने की कार्य योजना वर्तमान में अनुमोदित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम् से प्रदेश में सम्प्रति ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यकम चलाया जा रहा है। वर्ष 2019–20 से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.डी.सी.पी.) के अन्तर्गत ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

5– नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिण्डरपेस्ट सर्विलांस एण्ड मानीटरिंग (एन.पी.आर.एस.एम.)

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। परन्तु पूरे प्रदेश में ''रिण्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्‌देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे–बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर0 पी0 रोग वर्तमान समय में नही है, परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है, जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु निरन्तर निगरानी आवश्यक है।

<u>प्रक्रियात्मक रणनीति</u>

पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लायें जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया हैः–

1–रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को चिन्हित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदानुसार समीक्षा, मूल्यॉकन तथा कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

2–पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओ में रोगों के रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से पशुपालन प्रचार–प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है ।

कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित है। कृषि उपज में वृद्धि लाने, भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से जैविक खाद की उपलब्धता इसके उपयोग से कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा पशुओं से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध–पदार्थों की उपलब्धता भी होगी। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार–प्रसार, कृषकों एवं पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ–साथ समय की मांग/क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजनाओं को तैयार करने हेतु रणनीति भी तैयार की जा रही है।

पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

संख्या (लाख में)

कार्यक्रम	2022–23		2023–24	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1660.24	1090.50	1660.24	1090.50
चिकित्सा	353.13	456.86	353.13	456.86

कार्यक्रम	2024–25		2025–26	
	लक्ष्य	पूर्ति (माह–अगस्त,2024 तक)	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1705.60	431.38	लक्ष्यनिर्धारण की कार्यवाही क्रमित	
चिकित्सा	353.13	172.23		

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद

धनराशि(रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय–व्ययक अनुमान
उ0प्र0 वेटरिनरी काउन्सिल	**2023–24**	**2024–25**
	43.84	104.69
लेखाशीर्षक	**पुनरीक्षित आँकड़े**	**आय–व्ययक अनुमान**
2403001010210	**2024–25**	**2025–26**
उ0प्र0 वेटरिनरी काउन्सिल	85.16	107.59

प्रदेश में पशुचिकित्सा व्यवसाय को नियमित करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशुचिकित्साविदों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशुचिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम–1984 उत्तर प्रदेश द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात् इसके अधीन भारत सरकार से उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से सरकारी तथा गैर सरकारी पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। परिषद की स्थापना की तिथि 30.06.1993 से दिनांक **27.08.2024** तक किये गये पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाणपत्र तथा निरस्तीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

1. पंजीकरण – 8196
2. नवीनीकरण – 14810
3. निरस्तीकरण – 681

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पूर्ण व सही पाये जाने पर उनका शत–प्रतिशत पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। B.V.Sc&A.H कोर्स की समाप्ति पर जितने भी आवेदन पत्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त होते हैं, सही पाये जाने पर शत–प्रतिशत अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का लक्ष्य है।

3—पशु तथा भैंस विकास की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

<u>वित्तीय माँग</u> **धनराशि (रू0 लाख में)**

लेखाशीर्षक	**वास्तविक आंकडें**	**आय—व्ययक अनुमान**
	2023—24	**2024—25**
102—पशु तथा भैंस विकास	107992.18	114175.62

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमाऩ	आय—व्ययक अनुमान
	2024—25	**2025—26**
102—पशु तथा भैंस विकास	192836.32	222293.93

<u>1—पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर /मेला(मण्डल स्तर/विकास खण्ड स्तर)</u>
<u>योजना का उददेश्यः—</u>

1— शिविर में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, लघु शल्य चिकित्सा के साथ—साथ बॉझपन से ग्रसित दुधारू पशुओं की पूर्णतः **निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध** कराकर उन्हें पुनः दुग्ध उत्पादन में लाया जाना।
शिविर /मेलों में पशुपालको से कोई लेवी नहीं ली जानी है।
2—कृषको को उन्नत पशुपालन हेतु जागरूक एवं क्षमता विकास करना।
3—पशुपालकों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराना एवं लाभ प्राप्त कराना।
4—कृषकों को संतुलित पशु आहार, वर्ष भर हरे चारे के उत्पादन, समय से पशु टीकाकरण हेतु सजग करना, स्वच्छ दूग्ध उत्पादन, स्वच्छ पशु प्रबन्धन की जानकारी उपलब्ध कराना।
5—पशुओं की उत्पादकता में वृद्वि के साथ कृषकों/पशुपालको की आय में वृद्वि करना।
6— मेले में आये एवं इच्छुक पशुपालको के पशुओं को पशुधन बीमा से लाभान्वित कराना।

बजट व्यवस्थाः—
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु

क्र0संख्या	**स्तर**	**कुल मेला लक्ष्य**	**कुल धनराशि (रू0लाख में)**
1	**मण्डल स्तरीय वृहद पशु आरोग्य शिविर /मेला**	**18**	**264.7500 (14.70 प्रति मेला)**
2	**विकास खण्ड स्तरीय पशु आरोग्य शिविर/मेला**	**2463**	**1220.24000 (4.952 प्रति मेला)**

- प्रति मण्डल 01 मेले का आयोजन, इस प्रकार मण्डल स्तर पर कुल 18 मण्डल स्तर मेलों का आयोजन माह नवम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 तक आयोजित करने का लक्ष्य है।
- प्रति विकास खण्ड स्तर 03 मेलों का आयोजन, इस प्रकार विकास खण्ड स्तर पर कुल 2463 मेलों का आयोजन दिनांक 15 सितम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित करने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित मेलो की प्रगतिः–

पं0 दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेलो की प्रगति (मण्डल/विकास खण्ड स्तर पर)

मेलों का प्रकार	मेलों की संख्या		पंजीकृत पशु		कुल पंजीकृत पशु	सामान्य चिकित्सा	कृमिनाशक दवापान	लघु शल्य चिकित्सा	गर्भ परीक्षण	बॉझपन चिकित्सा	कृत्रिम गर्भाधान	बधियाकरण	टीकाकरण	पशुधन बीमा
	लक्ष्य	पूर्ति	बडे पशु	छोटे पशु										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मण्डल स्तर	18	18	90904	66812	157716	35765	92115	1026	2449	24348	415	3026	22334	424
विकास खण्ड स्तर	2463	3463	792316	822232	1614548	373710	1027823	15315	50092	159374	10056	49104	408099	2521
योग	2481	3481	883220	889044	1772264	409475	1119938	16341	52541	183722	10471	52130	430433	2945

2–पशु/भैसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण की योजना (राज्य योजना)

पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सफलता का मुख्य आधार पशुओं में प्रजनन रोगों से मुक्त तथा उसका स्वास्थ्य उन्नत होना है अर्थात पशुओं में किसी प्रकार की बाँझपन समस्या से मुक्त होना है।

प्रदेश में बाँझपन समस्या की वजह से प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या में निरन्तर ह्रास हो रहा है, जिसका उपाय यह है कि पशुओं में बाँझपन चिकित्सा के द्वारा उन्हें प्रजनन/गाभिन योग्य बनाया जाय। जिससे अधिक पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के उपरान्त गर्भधारण हो सके तथा कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए उन्नत नस्ल के संतति प्राप्त करके उनमें दुग्ध क्षमता में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ प्रदेश का दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके।

गाय/भैसों में अनुर्वरता एवं बाँझपन निवारण की योजना (राज्य योजना) अन्तर्गत पशुपालन विभाग अपने स्ट्रलिटी, इनफट्रिलिटी एवं एबार्शन कन्ट्रोल यूनिट तथा प्रदेश में संचालित 2202 पशुचिकित्सालयों के माध्यम से ग्रसित पशुओं के उपचार के उपरान्त उनमें प्रजनन क्षमता में सुधार कर प्रजनन दर में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 का अद्यतन वित्तीय विवरण (माह अगस्त 2024 तक)

क्र0 स0	मद	आवंटित धनराशि	अद्यतन व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	15–सामान्य	250,00	24,98	9,99

योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 का भौतिक प्रगति विवरण

क्र0 स0	योजना का नाम	आयोजित शिविरो की संख्या	शिविरो में उपचारित किये गये कुल पशु	उपचार के उपरान्त ठीक हुए पशुओं की कुल संख्या
1	पशु/भैसों में अनुर्वरता एवं बाँझपन निवारण की योजना (राज्य योजना)	18364	677205	583311

3—भ्रूण प्रत्यारोपण (एम0ओ0ई0टी0)/आई0वी0एफ0 कार्यक्रम

भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना भारत सरकार के राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2013 में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ पर साहीवाल नस्ल के उच्च आनुवंशिक गुणवत्तायुक्त पशुओं के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं विकास हेतु की गयी, जिसका स्थानान्तरण वर्ष 2014—15 में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट, बाराबंकी में कर दिया गया तथा अब इसे भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, चकगंजरिया, निबलेट, बाराबंकी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा आई0वी0एफ0 कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जिसके उपरान्त अक्टूबर 2020 से केन्द्र पर आई0वी0एफ0 का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है। राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, **आराजीलाइन्स वाराणसी पर देश में पहली बार गंगातीरी नस्ल की गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण का कार्य किया गया। जिसमें से 02 गायों में सफल गर्भधारण की पुष्टी हो चुकी है। साथ ही 02 मादा संतित की प्राप्ति हो चुकी है।**

4— पशु विकास कार्यक्रम वस्तुतः मुख्य रूप से उन्नत प्रजनन पर आधारित है, जिसके लिये विभागीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के अन्तर्गत 3922 आई0डी0 (भारत पशुधन)के मााध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। स्वरोजगार के अन्तर्गत प्रशिक्षित 8920 क्रियाशील स्वरोजगारी/कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के द्वारा भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

कृत्रिम गर्भाधान का वर्षवार लक्ष्य व उपलब्धि निम्नवत् है

(आंकडे लाख मे)

मद	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	2023—24	2024—25(माह नवम्बर 2024 तक)	2025—26 अनुमनित लक्ष्य		
								वर्गीकृत	सामान्य	योग
लक्ष्य	160.00	168.00	174.00	174.00	174.00	212.17	216.30	8.50	291.50	300.00
उपलब्धि	133.59	140.80	144.86	146.35	166.22	218.36	169.59	-	-	-
उपलब्धि	-	-	-	24.971	66.907	39.537	24.82	-	-	-

5— गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0)

कृषि कार्य हेतु मशीनीकरण में वृद्धि एवं स्वदेशी गोवंश के नरवत्स का उपयोग अत्यन्त कम होने के कारण बेसहारा/निराश्रित नर गोवंश की संख्या लगतार बढ़ती जा रही रही है, जिससे कृषकों की फसलों का नुकसान हो रहा है। निराश्रित नर गोवंश एवं निम्न गुणवत्ता की मादा संतति को कम करने के उद्देश्य से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़ में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उत्पादन की इकाई, **"गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0)"** के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। योजनान्तर्गत बाबूगढ़ स्थित प्रयोगशाला पर वर्गीकृत वीर्य उत्पादन किया जा रहा है। उक्त विधि से प्राप्त सीमेन स्ट्राज से कृत्रिम गर्भाधान उपरान्त लगभग 90% उच्च गुणवत्ता की मादा संतति प्राप्त की जा सकती है। योजनान्तर्गत वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य नवम्बर 2019 से प्रारम्भ हुआ वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्गीकृत वीर्य से भी कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

उद्देश्यः—

1. उच्च गुणवत्तायुक्त स्वदेशी प्रजातियों के वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन व वितरण।
2. प्रदेश में बेसहारा/निराश्रित नरवत्सों की संख्या को नियंत्रित करना।

योजना का स्वरूपः—

1. योजना पूर्णतः नवीन तकनीकी पर आधारित है, जिसमें माइक्रोफ्लूडिक व लेजर तकनीक के माध्यम से वीर्य में उपस्थित एक्स और वाई क्रोमोसोमधारक शुक्राणुओं को चिन्हित किया जाता है। तत्पश्चात् लेजर विधि द्वारा वाई क्रोमोसोमधारक शुक्राणुओं को मृत कर दिया जाता है, जिससे वीर्य में मुख्यतः एक्स क्रोमोसोमधारक शुक्राणु ही जीवित रहते हैं।
2. योजना प्रदेश के समस्त (75) जनपदों में भारतीय गोवंश प्रजातियों के गोवंशीय पशुओं में ही सेक्स्ड सीमेन के प्रयोग द्वारा संचालित की जा रही है।

3. योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च 2023 तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में प्रति कृत्रिम गर्भाधान रू0 100.00 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य जनपदों के पशुपालकों से सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रति कृत्रिम गर्भाधान रू0 300.00 लेवी ली जा रही है।

4. पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के पशुपालकों से दिनांक 01.04.2023 से सेक्स्ड सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सापेक्ष प्रति गर्भाधान पशु रू0 100/-(रूपये एक सौ मात्र) लेवी ली जा रहा है। प्राप्त लेवी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के माध्यम से कोषागार में जमा की जाती है।

गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत वर्षवार वर्गीकृत वीर्य उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	वर्ष	वर्गीकृत वीर्य उत्पादन हेतु वार्षिक लक्ष्य	वर्गीकृत वीर्य उत्पादन	ज्नपदों को हस्तान्तरित वर्गीकृत वीर्य स्ट्राज	वर्गीकृत वीर्य स्ट्राज द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	
					Physical	Digital
1	2019-20	137500	137500	78751	14643	
2	2020-21	341000	344490	167760	47183	
3	2021-22	402000	402740	44730	37784	
4	2022-23	402000	402120	204890	86574	
5	2023-24	402000	301670	548270	560656	50382
6	2024-25 (माह नवम्बर 2024तक)	297568	242758	262160	239061	118127
	योग	1982068	1931798	1306561	985901	168509

6-अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज उत्पादन

(अ) राज्य सरकार के सहयोग से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र बाबूगढ-हापुड में विदेशी संस्था ए0बी0एस0 ग्लोबल के सहयोग से सेक्सड सीमन उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी है जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 4.02 लाख उच्च गुणवत्ता के सांडों के वीर्य से तैयार वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में इस संस्था द्वारा नवम्बर 2019 से उत्पपदन प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत वीर्य उत्पादन को बढाने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त इकाई हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

प्रजनन कार्य में सहयोग के लिए निम्नवत साड़ों को रखा गया हैः-

वर्ष-2024-25

मद	बाबूगढ़					रहमानखेड़ा					मंझरा				
	देशी	विदेशी	संकर	भैस	योग	देशी	विदेशी	संकर	भैस	योग	देशी	विदेशी	संकर	भैस	योग
अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर उत्पादन योग्य सॉडों की संख्या	33	9	0	47	**89**	39	20	2	51	**112**	0	0	0	24	**24**

(ब) अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् है

आंकडे लाख मे

मद	2020–21		2021–22		2022–23		2023–24		2024–25		2025–26
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (सितम्बर 2024)	अनुमनित लक्ष्य
अतिहिमी कृत स्ट्राज का उत्पादन	24.00	23.21	33.00	22.84	40.00	43.73	44.35	46.36	65.00	27.15	70

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुमानित 100.00 लाख गौवंशीय वर्गीकृत वीर्य स्ट्राज की व्यवस्था कर गौवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किये जाने का लक्ष्य है

7–योजना का नाम : राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु मैत्री (MAITRI-Multipurpose AI Technician in Rural India) की स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में योजना संचालित की जा रही है। उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी है। जनपद में मैत्री का चयन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है

मैत्री प्रशिक्षण की प्रगतिः–

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	चयनित लाभार्थी	स्थापित मैत्री की संख्या	स्थापित मैत्री की संख्या	प्रशिक्षणरत् मैत्री की संख्या
2021-22	1250	1182	1182	1182	-
2022-23	2000	1976	1755	1755	-
2023-24	2500	2011	1897	1897	-
2024-25	3000	2120	602	0	585
2025-26	1250	-	-	-	-
योग	10000	7289	5436	4834	585

नवचयनित मैत्री का प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा 13 चिन्हित/अभिप्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। 55 दिवसीय व्यवाहारिक प्रशिक्षण निकटम राजकीय पशुचिकित्सालय (जहाँ से अभ्यर्थी का चयन किया गया है) पर सम्पादित कराया जाता है। इसके पश्चात् पाँच दिवसीय मूल्यांकन पुनः प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु उपकरण {ए.आई. किट, कास्ट्रेटर, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–3 ली0, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–35 (05 मैत्री हेतु 01) व 55 ली0 (05 मैत्री हेतु 01)} उपलब्ध करा कर स्थापित किया जाता है, जिसके पश्चात् प्रशिक्षित मैत्री द्वारा स्वरोजगार के रूप में कृत्रिम गर्भाधान संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता है।

परिषद द्वारा प्रशिक्षित/कार्यरत मैत्री में से उत्कृष्ठ कार्य करने वाले 26–मैत्री पत्नी/पति सहित दिनांक 26 जनवरी,2024 को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर नयी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार से प्राप्त आमंत्रण एवं विविध व्ययों के वहन के सापेक्ष प्रतिभाग किया गया। साथ ही दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** के अवसर पर प्रदेश में मैत्री प्रशिक्षण हेतु अभिप्रमाणित प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण/कार्यरत मैत्री में से 200–मैत्री एवं लगभग 200 पशुपालकों के साथ भारत सरकार से प्राप्त आमंत्रण के सापेक्ष नयी दिल्ली में अयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किये।

8–**जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना**

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना'' नेशनल लाईवस्टाक मिशन अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है।

योजनान्तर्गत स्वदेशी/संकर दुधारू पशु, भारवाहक पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं नर भैसा/सांड़) एवं अन्य पशु (बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि) आच्छादित है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ समस्त पशुओं (भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश को छोड़कर) हेतु 05 पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश के लिये 01 पशु इकाई को 10 भेड़/बकरी/सूकर/खरगोश के बराबर माना जायेगा। सब्सिडी का लाभ 05 पशु इकाई प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। यदि लाभार्थी के पास 05 से कम पशु/01 पशु इकाई है तो भी उसे सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना जी.एस.टी. से मुक्त है।

क्षेत्रवार एवं वर्गवार लाभार्थी हेतु केन्द्र, राज्य एवं पशुपालक का अंश :–

<table>
<tr><th rowspan="3">क्षेत्र</th><th colspan="6">वर्गवार केन्द्र/राज्य/पशुपालक का अंश (प्रतिशत में)</th></tr>
<tr><th colspan="3">ए0पी0एल0 वर्ग</th><th colspan="3">बी0पी0एल0 वर्ग/(एस.सी./एस.टी.)</th></tr>
<tr><th>केन्द्रीय</th><th>राज्य</th><th>पशुपालक</th><th>केन्द्रीय</th><th>राज्य</th><th>पशुपालक</th></tr>
<tr><td>सामान्य क्षेत्र</td><td>25</td><td>50</td><td>25</td><td>40</td><td>50</td><td>10</td></tr>
</table>

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना :

इंश्योरेंस कंपनियॉ एवं उनकी प्रीमियम दर

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र0 सं0</th><th rowspan="2">वर्ष</th><th rowspan="2">इंश्योरेंस कंपनी का नाम</th><th colspan="3">प्रीमियम दर (PTD रहित):</th><th colspan="3">प्रीमियम दर (PTD सहित):</th></tr>
<tr><th>एक वर्ष के लिये</th><th>दो वर्ष के लिये</th><th>तीन वर्ष के लिये</th><th>एक वर्ष के लिये</th><th>दो वर्ष के लिये</th><th>तीन वर्ष के लिये</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2017–18</td><td>दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं0 लि0</td><td>2.32</td><td>-</td><td>6.98</td><td>2.98</td><td>-</td><td>7.36</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2018–19</td><td rowspan="5">नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0</td><td rowspan="3">2.25</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">6.13</td><td rowspan="3">2.80</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">7.20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2019–20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2020–21</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2021–22</td><td rowspan="2">2.88</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">6.83</td><td rowspan="2">2.97</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">7.20</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2022–23</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2023–24</td><td rowspan="2">दि न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कं0 लि0</td><td rowspan="2">2.99</td><td rowspan="2">4.53</td><td rowspan="2">7.02</td><td rowspan="2">3.11</td><td rowspan="2">4.62</td><td rowspan="2">7.40</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2024–25</td></tr>
</table>

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् हैः–

योजना का नाम	2018–19 पशुधन बीमा		लाभार्थी /पशुपालकों की संख्या	मृत बीमित पशु के सापेक्ष निस्तारित दावे की संख्या	2019–20 पशुधन बीमा		लाभार्थी /पशुपालकों की संख्या	मृत बीमित पशु के सापेक्ष निस्तारित दावे की संख्या	2020–21 पशुधन बीमा	लाभार्थी/ पशुपालकों की संख्या	मृत बीमित पशु के सापेक्ष निस्तारित दावे की संख्या	
जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	लक्ष्य 105600	उपलब्धि 74726	43083	93	लक्ष्य 41800	उपलब्धि 50828	28920	1828	लक्ष्य 116255	उपलब्धि 106799	59200	2409

2021–22 पशुधन बीमा		लाभार्थी /पशुपालकों की संख्या	मृत बीमित पशु के सापेक्ष निस्तारित दावे की संख्या	2022–23 पशुधन बीमा		लाभार्थी /पशुपालकों की संख्या	मृत बीमित पशु के सापेक्ष निस्तारित दावे की संख्या	2023–24 (दिनांक 01.09.2023से09. 12.2024तक) पशुधन बीमा			
								लक्ष्य	उपलब्धि	लाभार्थी /पशुपालकों की संख्या	मृत बीमित पशु के सापेक्ष निस्तारित दावे की संख्या
लक्ष्य 14529	उपलब्धि 14991	7841	3576	लक्ष्य 135426	उपलब्धि 96686	50592	6154	173300	160560	79549	5521

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में वार्षिक लक्ष्य 541000 निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष माह नवम्बर 2024 तक7 71059 पूर्ति की गयी है तथा 4674 दावा का निस्तारण कर, रू0 1840.05 लाख की धनराशि बीमा कम्पनी द्वारा लाभार्थी को प्रदान की गयी। परिषद के पत्र सं0–214(100),दिनांक 31.05.2024 के माध्यम से समस्त जनपदों को पशुधन बीमाकरण की गाईडलाइन प्रेषित की जा चुकी है। जनपदों में पशुधन बीमाकरण की कार्यवाही क्रमित है।

9–**<u>प्रदेश में पशु प्रजनन नीति</u>**

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के 50–70/.(प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त कराया जाना प्रस्तावित है इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांडों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित हैं।

1– दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोंवंश को विदेशी नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधानकराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए बुन्देलखण्ड मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतुहोलिस्टीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है।

2– विशुद्व भारतीय मूल के संरक्षण व संवर्द्वन हेतु इसके उत्वर्गीकरण के लिए शुद्व भारतीय नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।

3– संकर संतति में विदेशी प्रजाति के रक्त को 62.5 प्रतिशत तक रखे जाने हेतु संकर मादा संतति (एफ–1) को 50 से 62.5 प्रतिशत विदेशी रक्त के अतिहिमीकृत वीर्य से संकरणकराया जायेगा।

4– महिषवंश के उत्वर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनाऐं/ नवाचार योजनाएँः–

1–पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेला (मंडल स्तर) की योजना।

2– पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेला (न्याय पंचायत स्तर) की योजना।

3– पशु/भैसों में अनुर्वरता एवं बाँझपन निवारण की योजना (राज्य योजना)।

4– डेयरी किसनों कों पशु आहार एवं खनिज मिश्रण/पूरक आहार (नई मांग) 2025–26 से वितरण की योजना।

5– कृत्रिम गर्भाधान की योजना (रा0यो0)

6– अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।

7– जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

8– गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सार्टेड सीमेन की योजना

9– प्रक्षेत्र एवं डी0फ0एस0 केन्द्रो पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (राजस्व)

10– प्रक्षेत्र एवं डी0फ0एस0 केन्द्रो पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (पूँजीगत)

11– अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,रहमानखेडा लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सैक्स्ड/सार्टेड सीमैन के उपयोग की योजन। (राज्य योजना)।

12–जनपद बरेली में पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र योजना (राज्य योजना)।

13–ई0एस0वी0एच0डी0मोबाइल वेटनरी यूनिट अन्तर्गत क्रायोकेन उपलब्ध कराने की योजना राजस्व मद।

14– विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराने जानक की योजना (रा0यो0)।

15– जनपद स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकताओं के लिए तरल नत्रजन की उपलब्धता हेतु क्रायोवेसल लगााये जाने की योजना (रा0 यो0) राजस्व मद।

वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय (रू0 लाख में)	आय–व्ययक अनुमान (रू0 लाख में)
	2023–24	**2024–25**
103– कुक्कुट विकास	1692.51	3587.20
लेखाशीर्षक	**पुनरीक्षित आँकड़े (रू0 लाख में)**	**आय–व्ययक अनुमान (रू0 लाख में)**
	2024–25	**2025–26**
103– कुक्कुट विकास	3225.20	3587.20

1.**30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण**

प्रदेश में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र महानगर–लखनऊ पर 30 दिवसीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण आयोजनेत्तर पक्ष से संचालित है। इसके अन्तर्गत सेवा कालीन पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र महानगर (चकगंजरिया) लखनऊ पर कुल 74 प्रशिक्षणार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसका प्रमाण पत्र निदेशालय द्वारा निर्गत किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय प्रशिक्षण हेतु 30–30 दिवस के कुल 08 बैच बनाये गये है। जिसमें मण्डल/जनपद स्तर से प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर सयुंक्त निदेशक राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र महानगर (चकगंजरिया) लखनऊ को प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में अक्टूबर 2024 तक 60 प्रशिक्षणर्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया,

2.**आहार परीक्षण प्रयोगशाला**

कुक्कुट पालन में कुक्कुट आहार की गुणवत्ता का विशेष महत्व है। आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लखनऊ में निदेशालय परिसर में एक आहार परीक्षण प्रयोगशाला आयोजनेत्तर मद में कार्यरत है, जहाॅं पर (1)आहार में नमी (2) ड्राई मैटर (3) क्रूड प्रोटीन (4)क्रूड फाइबर (5)ईथर एक्सट्रेक्ट (6)टोटल एश (7) एसिड इन साल्युविल एश जॉच करने की व्यवस्था है। वर्ष 2024–25 में कुल 149 (सितम्बर 2024 तक) नमूनों का विश्लेषण किया गया।

3.**राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना**

वर्तमान में कार्यरत 04 कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा एक बटेर प्रक्षेत्र पर निम्नवत पक्षियों को रखे जाने की क्षमता हैः–

क्र0सं0	**प्रक्षेत्र का नाम**	**क्षमता**
1.	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बाबूगढ़–हापुड (अक्रियाशील)	3000
2.	चकगंजरिया–निबलेट बाराबंकी	3000
3.	भोजीपुरा–बरेली (अक्रियाशील)	2000
4.	भरारी–झॉसी (अक्रियाशील)	2000
	कुल 04 प्रक्षेत्र	**10000 पक्षियों की कुल संख्या**

नोटः– वर्तमान में राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, हापुड़, बरेली, भरारी–झॉसी अकियाशील है।

राजकीय बटेर प्रजनन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया लखनऊ **500**

कुल –10500

4. **उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022**

कुक्कुट उत्पान में मांग के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर (गैप)को पूर्ण कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यातोन्मुखी बनाने की दृष्टि से शासनादेश संख्या–2254/सैतीस–2–2022–1(45)/2012 टीसी, दिनांक 07.11.2022 द्वारा उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 प्रख्यापित की गयी थी। नीति के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–2505/सैंतीस–2–2022–1(45)/12टी0सी0, दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 द्वारा निर्गत किये गया था। उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 में शासनादेश संख्या–1348/37–2–2024–1(45)/2012टी0 सी0,–(ए)दिनांक 13 अगस्त–2024 द्वारा उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 में सशोंधन किया गया है। जिसके संचालन हेतु शासनादेश सं0 2367/सैतीस–2–2024 दिनांक 22 नवम्बर 2024 निम्नवत् निर्गत किया गया है।

(1) योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू0लाख में)

योजना की लागत प्रति इकाई	99.53 लाख
(i)बैंकऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	69.67 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लागत का 30%	29.85 लाख
बैंकऋण पर 5 वर्ष तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	14.61 लाख
भूमि की आवश्यकता	01 एकड़

(2) योजना का नामः 20000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	177.32 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	124.12 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	53.20 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	26.04 लाख
भूमि की आवश्यकता	1.7 एकड़

(3) योजना का नामः 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	256.69 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	179.69 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	77.00 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	37.73 लाख
भूमि की आवश्यकता	2.5 एकड़

(4) योजना का नामः 40000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	339.82 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	237.87 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	101.95 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	49.95 लाख
भूमि की आवश्यकता	3.0 एकड़

(5) योजना का नामः 50000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	418.42 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	292.89 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	125.53 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	61.50 लाख
भूमि की आवश्यकता	3.5 एकड़

(6) योजना का नामः 60000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	491.90 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	344.33 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	147.57 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	72.30 लाख
भूमि की आवश्यकता	4.0 एकड़

(7) योजना का नामः 70000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	568.45 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	397.91 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	170.54 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इनमें से जो भी कम हो)पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	83.55 लाख
भूमि की आवश्यकता	4.5 एकड़

(8) योजना का नामः 80000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	651.38 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	455.96 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	195.42 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इनमें से जो भी कम हो)पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	95.73 लाख
भूमि की आवश्यकता	5.0 एकड़

(9) योजना का नामः 90000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	734.55 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	514.16 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	220.37 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	107.96 लाख (अधिकतम 100.00 लाख तक प्रतिपूति)
भूमि की आवश्यकता	5.5 एकड़

(10) योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	289.07 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	202.34 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	86.72 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	42.47 लाख
भूमि की आवश्यकता	4.0 एकड़

(11) योजना का नामः 20000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	554.80 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	388.36 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	166.44 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षोतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो)पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	81.53 लाख
भूमि की आवश्यकता	5.0 एकड़

(12) योजना का नामः 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

योजना की लागत प्रति इकाई	811.64 लाख
(i)बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70%	568.14 लाख
(ii)मार्जिन मनी इकाई लगात का 30%	243.50 लाख
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	119.28 लाख (अधिकतम 100.00 लाख तक प्रतिपूति)
भूमि की आवश्यकता	8.0 एकड़

नोट– नीति अन्तर्गत किसी भी क्षमता की एक इकाई के सम्बन्ध में लाभार्थी को अधिकतम रू0 100.00 लाख का ब्याज उपादान अनुमन्य किया जायेगा।

2.–उ0 प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 के अर्न्तगत योजना के संचालन, पात्रता, भूमि आदि की आवश्यकता एवं अन्य प्रक्रियाओं का विवरण निम्नवत हैः–

(1) उक्त योजनाओं का कियान्वयन निदेशक,प्रशासन एवं विकास,पशुपालन उ0प्र0,लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(2) उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापो को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेगें। प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिन्ग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

(3) प्रदेश में न्यूनतम 10000 पक्षी क्षमता की नई कामर्शियल इकाई के नई ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना किये पर भी उद्यमी इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

किसी अन्य पूर्व नीति के अन्तर्गत स्थापित किसी इकाई के न्यूनतम 10000 पक्षी क्षमता की अतिरिक्त वृद्धि किये जाने पर भी उद्यमी इस नीति के अन्तर्गत लाभ पाने के पात्र होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वृद्धि लागू करने के बाद उसका नई इकाई प्रारम्भ करने की तिथि को कुल उत्पादन 01 जुलाई 2024 को उसके उत्पादन व प्रस्तावित वृद्धि के योग से कम नहीं होगा। यह भी प्रतिबन्ध है कि प्रस्तावित वद्वि में, पूर्व से उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त अन्य पूर्व अस्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा/लाभ नहीं लिया जायेगा।

लाभार्थी की किसी ईकाई के पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित लाभार्थी की अन्य समस्त इकाईयों को एक ही ईकाई माना जायेगा।

इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए स्थापित की जा रही इकाई के लिए लाभार्थी के पास उक्त क्षमता की इकाई हेतु विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि, स्वयं के स्वामित्व में यह न्यूनतम 10 वर्ष की लीज पर उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(4)योजनान्तर्गत 10 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 01 एकड़, 20 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 1.7 एकड़ 30 हजार कामर्शियर लेयर इकाई के लिए 2.5 एकड़, 40 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 3.0 एकड, 50 हजार कामर्शियर लेयर इकाई के लिए 3.5 एकड़, 60 हजार कामर्शियर लेयर इकाई के लिए 4 एकड़, 70 हजार कामर्शियर लेयर इकाई के लिए 4.5 एकड़, 80 हजार कामर्शियर लेयर इकाई के लिए 5. 0 एकड़, 90 हजार कामर्शियर लेयर इकाई के लिए 5.5 एकड़ एवं 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 4 एकड़, हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 06 एकड़ तथा 30 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 08 एकड़, भूमि लाभार्थी के स्वामित्व में अथवा कम से कम 10 वर्ष की लीज पर होना अनिवार्य है।

(5) पक्षियों को पालने हेतु California Cage पद्धति अथवा किसी अन्य पक्षी अनुकूल पद्धति Bird Friendly Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जिसके लिए मानकों का पालन अनिवार्य है।

3– अन्य रियायतें एवं छूटः–

योजना अन्तर्गत स्थापित कुक्कुट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 100000 यूनिट तक की इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी पर शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी पर शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग के बजट से की जायेगी।

नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु कय की गयी भूमि पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा कामर्शियल लेयर फार्म स्थापना हेतु अधिकतम 5.5 एकड़ भूमि तक सीमित रहेगी। इस हेतु बैंक गारन्टी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा। स्टाम्प ड्यूटी में उक्त छूट प्राप्त करने हेतु उद्यमी

द्वारा इस आशय का लिखित शपथ–पत्र समबिन्धत जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कुक्कुट विकास नीति–2022 में उल्लिखित योजनाओं में ही किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गयी स्टैम्प ड्यूटी की छूट की धनराशि ब्याज सहित उद्यमी को वापस करनी होगी।

5.बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा0यो0/एस0सी0पी0/समाज कल्याण विभाग से वित्तपोषित)

यह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराकर कुपोषण को दूर करना है,साथ ही परिवार की आय में वृद्धि करना है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हें कुक्कुट पालन हेतु एक सप्ताह का प्रशिक्षण निकट के पशु चिकित्सालय पर दिया जाता है उन्हें 50 लो इनपूट टेक्नोलोजी के डुवल परपज चूजों की एक इकाई खुलवायी जाती है। प्रति इकाई रू0 3000.00 मात्र का पैकेज व्यय निर्धारित है, जो पूर्णतः अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वारतक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24में कुल 16666 कुक्कुट इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु सात आकांक्षात्मक जनपदों (यथा–श्रावस्ती,सिद्वर्थानगर,सोनभद्र,बहराइच,बलरामपुर,फतेहपुर,चन्दौली) में एवं जनपद गोरखपुर में 400 तथा जनपद–बरेली में 266 एवं शेष 66 जनपदों में प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाईयां स्थापित की जा चुकी है। जिसके माध्यम से अनूसूचित जाति के निर्धन/गरीब लाभार्थियों के लिये रोजगार सृजन किया गया।

वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की गई है तथा प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य 16666 कुक्कुट इकाईयों की स्थापना किए जाने हेतु सात आकांक्षात्म जनपदों (यथा–श्रावस्ती, सिद्वर्थानगर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर, फतेहपुर, चन्दौली) में एवं जनपद गोरखपुर में 400 तथा जनपद–बरेली में 266 एवं शेष 66 जनपदों में प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाइयों की स्थापना की कार्यवाही क्रमित है।,जिस में सभी महिला लाभार्थियों का चयन कर लाभार्थियों को कुक्कुट चुजों एवं कुक्कुट आहार की आपुर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है

6.बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना

1–बुन्देलखण्ड पैकेज के अर्न्तगत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सातो जनपदों हेतु महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना 2018–19 एवं 2019–20 दो वर्षो के लिए स्वीकृत की गई थी।

2– जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20में चयनित लाभर्थियों के प्रशिक्षण, कुक्कुट आवास के निर्माण, वाटरर व फीडर एवं अन्य मदों में रू0 8.82 करोड की धनराशि व्यय की गई है।

3– वित्तीय वर्ष 2022–23 में Expression of interest ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की गयी परन्तु कुक्कुट ब्रायलर चूजो एवं कुक्कुट आहार की बाजार दरे अनुमोदित दरो से अधिक होने के कारण मात्र दो फर्म ही आपूर्ति के लिये तैयार हुए। उक्त दोनो फर्मो द्वारा 6.21950 लाख कुक्कुट ब्रायलर चूजो एवं 18.65 लाख किलोग्राम कुक्कुट आहार की आपूर्ति की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 मे जनपदो द्वारा रू0 17.61 करोड़ की धनराशि व्यय की गई इस प्रकार योजना की कुल लागत रू0 70.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 26.44 करोड़ की धनराशि व्यय करत हुए प्रथम वर्ष के 9889 चयनित लाभार्थियो को आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया है।

4–– योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 43.56 करोड़ का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में किया जाना है योजना के सफल संचालन हेतु कुक्कुट चूजों एवं कुक्कुट आहार की वर्तमान अनुमोदित दरो में संशोधन किया गया

5– महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना को पूर्ण करने हेतु कुक्कुट ब्रायलर चूजो एवं कुक्कुट आहार की आपूर्ति हेतु ई–निविदा के माध्यम से Expression of interest for Empanelment की कार्यावाही पूर्ण कर ली गई है। कुक्कट चूजों एवं कुक्कुट आहार की आपूर्ति कर प्रथम एवं द्वितीय चरण के शेष लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

6–नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना की समय सीमा 30 जून 2025 तक किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत कुल लागत रू0 70.00 करोड़ के सापेक्ष व्यय हेतु अवशेष धनाराशि रू0 43.56 करोड़के सापेक्ष रू0 24.50 करोड़ नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गई है। पैकेज अन्तर्गत विभाग द्वारा योजना प्रारम्भ से अब तक कुल रू0 26.44 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर लिया गया है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने तथा निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निम्न रणनीति बनायी गयी हैः–

1. प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्यों का वार्षिक त्रैमासिक तथा मासिक निर्धारण पर नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन कर कार्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों के निस्तारण पर बल दिया गया है।
2. कुक्कुट स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित संक्रामक रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण तथा न्यू–इमर्जिंग डिजीज के रोग निदान की सुविधा कुक्कुट पालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।

3. प्रक्षेत्र में कुक्कुट विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक कुक्कुट कार्यक्रम अधिकारी नामित किया गया है, जो उद्यमियों को इस व्यवसाय में आ रही कठिनाईयो को दूर करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेगें।
4. बर्ड फ्लू से बचाव हेतु समस्त मुख्य पशु चिकित्साअधिकारियों एवं मण्डलीय अधिकारियों को समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जा रहे हैं।
5. कुक्कुट पालन में स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर, लखनऊ में कराया जा रहा है।

भेड तथा ऊन विकास की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण।

वित्तीय माँग **धनराशि (रू0 लाख में)**

लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	**2024–25**
104– भेड तथा ऊन विकास	540.65	491.66

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान्	आय–व्ययक अनुमान
	2024–25	**2025–26**
104– भेड तथा ऊन विकास	481.48	491.66

परिचयात्मकः–

1– प्रदेश में भेड़ एव ऊन विकास का मूल उद्देश्य कार्पेट योग्य मीडियम कोर्स ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना।
2. भेड़ पालकों के आर्थिक स्तर को उन्नतशील बनाना व कार्पेट निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

भेड विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

क0सं0	मद विवरण	2023–24		2024–25		2025–26
		लक्ष्य वास्तविक	पूर्ति	लक्ष्य अनुमानित	पूर्ति (नवम्बर–24)	अनुमानित लक्ष्य
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की संख्या–2, स्वीकृत पैरेन्त स्टाफ के सापेक्ष उपलब्ध नर मेढ़ा 209 , मादा भेड़े– 1127					
क	उत्पन्न संतति	954	460	954	138	1144
ख	प्रजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	285	570	248	570
2	योजनान्तर्गत जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ					
क	गर्भितभेड़ों की संख्या	330000	355823	330000	143880	330000
ख	उत्पन्नसंतति	230000	299300	230000	66958	230000
ग	दवापान	400000	928476	400000	252168	400000
घ	चिकित्सा	260000	1104271	260000	30691	260000

भेड़ विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2025–26

क्र0	मदविवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	**भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र**					
क	गर्भित भेड़ों की संख्या	763	190	191	191	191
ख	उत्पन्न संतति	1144	286	286	286	286
ग	प्राजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	143	143	142	142

क्र0	मदविवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	**भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/ मेढ़ा केन्द्र**					
क	गर्भित भेड़ों की संख्या	330000	82500	82500	82500	82500
ख	उत्पन्नसंतति	230000	57500	57500	57500	57500
ग	दवा–पान	400000	100000	100000	100000	100000
घ	चिकित्सा	260000	65000	65000	65000	65000

1–भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधान– रू0–115.00 लाख
2–वित्तीय स्वीकृति– रू0–115.00 लाख
3–योजना का अच्छादन– 02 प्रक्षेत्र एवं 41 जनपद
4–योजना की रूपरेखा–

योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर पाले जा रही भेड़ों के रख–रखाव हेतु मजदूरी , राशन, चिकित्सा तथा बाडों की मरम्मत आदि की व्यवस्था की जाती है साथ ही प्रदेश के राजकीय भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्रों पर नर मेढे उपलब्ध कराकर भेड़ पालकों द्वारा पाली जा रही अवर्णित नस्ल की भेड़ों में प्रजनन कार्य कराया जाता है तथा भेड़ पालकों को प्रजनन कार्य हेतु अंशदान पर नर मेढ़े उपलब्ध कराये जाते है तथा भेड़ पालकों की भेड़ों की चिकित्सा, दवापान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर उच्च नस्ल के उत्पन्न नर/मादा भेड़ों को प्रदेश के भेड़ पालकों द्वारा प्रस्तुत माँग के सापेक्ष भेड़ पालन व्यवसाय हेतु उपलब्धता के आधार पर निर्धारित पुस्तकीय मूल्य पर नर/मादा भेड़े उपलब्ध कराये जाते है। जिससे भेड़ पालकों की आय में वृद्धि होने के साथ ही सामाजिक/आर्थिक में सुधार हो सकें।

2–भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु मेढ़े उपलब्ध कराने की योजना (राज्य योजना)

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधान– रू0–31.91 लाख
2–वित्तीय स्वीकृति– रू0–31.91 लाख
3–योजना का अच्छादन– 11 जनपद
4–योजना की रूपरेखा–

योजनान्तर्गत प्रदेश के भेड़ बाहुल्य 11 जनपदों में भेड़ पालकों द्वारा पाली जा रही भेड़ों में नस्ल सुधार कर उच्च कोटि की ऊन प्राप्त करने के उद्‌देश्य से उत्तराखण्ड राज्य व अन्य राज्य से रैम्बुले मेरिनों क्रास नस्ल आदि 250 मेंढें क्रय कर 210 भेड़ पालकों को निःशुल्क वितरित करने एवं राजकीय भेड़ प्रक्षेत्रों को 40 मेढें इन्ब्रीडिंग के बचाव हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना से प्रदेश में ऊन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में बृद्धि करना, भेड़ पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों को भेड़ पालन को व्यवसाय के रूप में अंगीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करना, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र में पाली जा रही भेड़ों को इनब्रीडिंग से बचाना तथा उनके जेनेटिक पूल को सुदृढ़ करना।

3–भेड़ पालन की योजना (रा.90+ला.10प्रतिशत)

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधान– रू0–344.75 लाख
2–वित्तीय स्वीकृति– रू0–344.75 लाख
3–योजना का अच्छादन– 40 जनपद (भेड़ बाहुल्य जनपद)
4–योजना की रूपरेखा–

योजनान्तर्गत भेड़ पालन हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाता है। प्रति इकाई 1 नर व 20 मादा भेड़ उपलब्ध करायी जायेगी। प्रति इकाई लागत रू0–170000.00 है, जिसमें 90 प्रतिशत धनराशि रू0–153000.00 अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू0–17000.00 लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से नर/मादा भेड़ों का क्रय, बीमा व चिकित्सा, राशन, तथा परिवहन का कार्य किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य भेड़ पालन के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन का अवसर प्रदान कर आर्थिक स्थिति में सुधार करने एवं प्रदेश में भेड़ पालन को उद्यम के रूप में स्थापित करना, वर्तमान में पाली जा रही भेड़ों का आनुवांशिक सुधार कर उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा प्रदेश के कारपेट उद्योग को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत 225 भेड़ इकाई की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

बकरी विकास

परिचयात्मकः–

1 समाज के निर्बल आय वर्ग के आर्थिक उन्नयन हेतु परम्परागत सह–उद्योग के रूप में विकसित किया जाना।
2. ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. मानव उपयोग हेतु बकरी जन्य पदार्थो यथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

बकरी विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य उपलब्धियॉ

क0सं0	मद विवरण	2023–24		2024–25		2025–26
		लक्ष्य वास्तविक	पूर्ति	लक्ष्य अनुमानित	पूर्ति (नवम्बर–2024)	अनुमानित लक्ष्य
1	**बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की संख्या–04 उपलब्ध नर पशु 42, मादा 305**					
क	उत्पन्न संतति	378	252	313	249	390
ख	प्रजनन हेतु वितरित बच्चे	170	78	170	25	170
2	**जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां**					
क	गर्भितबकरियों की संख्या	3750	485	3750	87	3750
ख	उत्पन्नसंतति	6000	307	6000	27	6000

बकरी विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2025–26

क0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	**ब्करी प्रजनन प्रक्षेत्र**					
क	गर्भित बकरियों की संख्या	244	61	61	61	61
ख	उत्पन्न संतति	390	97	97	97	99
ग	प्रजनन हेतु वितरित बच्चे	170	42	42	43	43
2	**नर बकरा युक्त पशु चिकित्सालय**					
क	गर्भित बकरियों की संख्या	3750	937	937	937	939
ख	उत्पन्न संतति	6000	1500	1500	1500	1500

1–बकरी पालन योजना (रा.90+ला.10 प्रतिशत)

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानः– रू0–300.00 लाख
2–वित्तीय स्वीकृतिः– रू0–300.00 लाख
3–योजना का अच्छादनः– 75 जनपद
4–योजना की रूपरेखाः–

प्रदेश के गरीब, भूमिहीन,विधवा, निराश्रित महिला, कोविड प्राभावित परिवारों को बकरी पालन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने एवं बकरी पालन को प्रोत्साहन करने हेतु 739 बकरी इकाईयों की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत चयनित बकरी पालको को प्रति इकाई 01 नर व 05 मादा बकरी उपलब्ध करायी जाती है। प्रति इकाई लागत रू0–45000/– है, जिसमें 90 प्रतिशत धनराशि रू0–40500–अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू0–4500/–लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से नर/मादा बकरियों का क्रय, परिवहन, बीमा,राशन तथा चिकित्सा का कार्य कराया जाता है।

2–भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की योजना

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधान– रू0–50.64 लाख
2–वित्तीय स्वीकृति– रू0–32.50 लाख
3–योजना का अच्छादन– **भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द,इटावा** जनपद
4–योजना की रूपरेखा–

योजनान्तर्गत भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रति वर्ष 1200 भेड़ एवं बकरी पालको को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रशिक्षण केन्द्र पर 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भेड़ एवं बकरी पालकों को प्रशिक्षण अवधि में निःशुल्क रहने के लिये छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वैज्ञानिकों एवं आउट सोंसिंग पर रखे गये श्रमिकों के भुगतान/संसाधनों की व्यवस्था करायी जाती है। योजना से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बकरी एवं भेड़ पालकों को उच्च तकनीकी विधि से बकरी एवं भेड़ पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे कि बकरी एवं भेड़ पालन के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो तथा उनका सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किया जा सके।

3–**बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना**

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधान– रू0–374.81 लाख
2–वित्तीय स्वीकृति– रू0–179.81 लाख
3–योजना का अच्छादन– प्रथम में 35 जनपद, द्वितीय चरण 35 जनपद।
4–योजना की रूपरेखा–

प्रदेश के गरीब, भूमिहीन परिवारों द्वारा पाली जा रही बरबरी, जमुनापारी, बीटल, ब्लैक बंगाल तथा अवर्णित नस्ल की बकरियों में उच्च गुणवत्ता सीमेन स्ट्रा से बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान कराकर उच्च नस्ल की संतति प्राप्त कर नस्ल सुधार करने के उद्‌देश्य से प्रथम चरण में प्रदेश के चयनित 35 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में प्रत्येक जनपद 14 बकरी क्रमित गर्भाधान केन्द्र (कुल 490 बकरी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र) की स्थापना कर बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान कराना प्रस्तावित है। बकरियों में सफल कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुचिकित्साधिकारियों/पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा पैरावेट को दुवासू, मथुरा से प्रशिक्षित किया जा रहा है। योजना से प्रदेश के बकरी पालको की आय में वृद्धि कर सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार हो सकेगा।

4–जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना (वर्ष 2024–25)

1–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधान– रू0–500.00 लाख(रू0–284.52 (राजस्व))
(रू0–215.48 (पूंजीगत))

2–योजना का अच्छादन– भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र,इटावा

3–योजना की रूपरेखा–

योजनान्तर्गत जमुनापारी नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से व उनके आनुवांशिक गुणों में सुधार कर दुग्ध एवं मीट उत्पादन बढ़ाने के लिये ओपन न्यूकिल्यर ब्रीडिंग फार्म का विकास अत्यन्त आवश्यक है, जिससे भविष्य में उन्नत नस्ल के मीट एवं दुग्ध उत्पादन वाले बकरा/ बकरी तैयार होगें एवं आनुवांशिक सुधार से उत्पन्न हुई नस्ल की पीढ़ी मीट और दुग्ध उत्पादन के अनुपूरक होगें। ओपन न्यूकिल्यर ब्रीडिंग फार्म के विकास हेतु उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं मीट उत्पादन करने वाले बकरियों के उत्थान के लिये उच्च गुणवत्ता के 10 नर/100 मादा बकरियां चयन उपरान्त क्रय कर ओपन न्यूकिल्यर ब्रीडिंग फार्म पर पाले जायेगें। केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मकदूम, मथुरा के सहयोग से जनपद इटावा व औरैया में मेलों का आयोजन कर चयन किया जायेगा।उत्पन्न हुई उच्च गुणवत्ता युक्त पैदा हुई नर/मादा बच्चों के परिपक्व होने पर स्थानीय व आस–पास के जनपदों के बकरी पालकों को पूर्व नामित चयन समिति के माध्यम से दर निर्धारित करते हुये बिक्री किया जायेगा जिसमें 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश अग्रिम जमा कराने के उपरान्त ही नर/मादा बकरें की बिक्री सुनिश्चित की जायेगी, साथ ही प्रतिवर्ष 1/4 बकरों/बकरियों को नई उत्पन्न संततियों से दो वर्ष बाद पुराने नर बकरा/बकरियों को नये उत्पन्न नर व मादा बकरियों से परिवर्तित किया जायेगा एवं दो वर्ष पुराने बकरा/बकरी को पूर्व नामित चयन समिति के माध्यम से दर निर्धारित करते हुये क्षेत्र में बिक्री किया जायेगा। इस प्रकार निरन्तर नये जरमप्लाजम बकरा/बकरी फ्लाक में आते रहेगें एवं उच्च गुणवत्ता के बकरा/बकरी क्षेत्र में वितरित भी होते रहेगें जो कि नस्ल सुधार की एक सतत् प्रक्रिया चलती रहेगी।योजना का उद्देश्य जमुनापारी नस्ल के बकरे/बकरियों को सुरक्षित करना एवं जमुनापारी ब्रीडिंग ट्रैक में उच्च गुणवत्ता की नस्ल को संरक्षित करना है।

अन्य पशुधन विकास की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण।

<u>वित्तीय माँग</u> **धनराशि (रू0 लाख में)**

लेखाशीर्षक	**वास्तविक आंकडें**	**आय–व्ययक अनुमान**
	2023–24	**2024–25**
106– अन्य पशुधन विकास	7104.19	8927.02

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2024–25	**2025–26**
106– अन्य पशुधन विकास	7837.55	8898.00

<u>राजकीय पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्रो का परिचयात्मक एवं उद्देश्य</u>

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अंतर्गत 10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र कार्यरत हैं जिनका मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1. भारतीय मूल के गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
2. भारतीय मूल के उन्नतशील नस्ल के सांडों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को प्रजनन हेतु सांडों का उपलब्ध कराना।
3. उन्नतशील प्रजाति के आधारीय तथा प्रमाणित चारा बीजों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में से 9 प्रक्षेत्र. शासन द्वारा वाणिज्यिक एवं 1 प्रक्षेत्र अवाणिज्यिक घोषित हैं। प्रक्षेत्रों पर चल रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	**प्रक्षेत्र का नाम**	**वाणिज्यिक / अवाणिज्यिक**	**चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण**
1	आराजीलाइंस–वाराणसी	वाणिज्यिक	गंगातीरी नस्ल की गाय तथा मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चाराबीज का उत्पादन।
2	आटा–जालौन	अवाणिज्यिक	विभिन्न नस्लों के गो एवं महिषवंशीय नर बच्चों का सांड हेतु सम्बर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
3	बाबूगढ–गाजियाबाद	वाणिज्यिक	हरियाना गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
4	भरारी–झांसी	वाणिज्यिक	थारपारकर गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
5	चकगंजरिय स्थान निबलेट–बाराबंकी	वाणिज्यिक	साहीवाल गायों का संरक्षण एवं संवर्धन ।
6	हस्तिनापुर–मेरठ	वाणिज्यिक	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
7	मंझरा–खीरी	वाणिज्यिक	मुर्रा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
8	निबलेट–बाराबंकी / कमियार–बाराबंकी	वाणिज्यिक	मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर संरक्षण एवं संवर्धन तथा चकगंजरिया,प्रक्षेत्र पर पाले जा रहे पशुओं के लिये निबलेट, प्रक्षेत्र से हरा चारा उत्पादन कर उपलब्ध कराया जाता है।
			कमियार प्रक्षेत्र का संचालन निबलेट प्रक्षेत्र द्वारा किया जाता है । यह प्रक्षेत्र बाढ ग्रसित क्षेत्र है यहां पर जलभराव होने कारण केवल रवी फसलों के अंतर्गत रवी चारा बीज की फसलें ली जाती हैं यहां पर कोई भी पशु नही पाले जा रहे हैं। प्रक्षेत्र पर कोई भी आवासीय एवं अनावासीय भवन नहीं हैं।
9	नीलगांव–सीतापुर	वाणिज्यिक	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैसों तथा मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
10	सैदपुर–ललितपुर	वाणिज्यिक	हरियाना गायों,मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर एवं बीटल / बरबरी बकरी का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2025–2026
राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार दुग्ध उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

दुग्ध उत्पादन लीटर में

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	2023–24			2024–25 (माह–जुलाई 2024 तक)			2025–2026 (अनुमानित)		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आराजीलाइंस–वाराणसी	113880.00	114248.25	+368.25	133200.00	36135.00	97065.00	133200.00	0	0
2.	आटा–जालौन	बुल रियरिंग प्रक्षेत्र हैं। दुधारू पशु नही पाले जाते है।								
3.	बाबूगढ़–हापुड़	199728.00	149542.40	-50185.60	196200.00	52270.00	-143930.00	196200.00	0	0
4.	भरारी–झांसी	182208.00	103727.00	-78481.00	187900.00	32678.00	-155222.00	187900.00	0	0
5.	चक गंजरिया स्थान निबलेट–बाराबंकी	416947.00	297625.00	-119322.00	395900.00	99946.50	-29593.50	395900.00	0	0
6.	हस्तिनापुर–मेरठ	185872.00	115531.00	-70341.00	160600.00	30033.50	-130566.50	160600.00	0	0
7.	मंझरा–खीरी	208163.00	128909.37	-79253.63	175100.00	41619.55	-133480.45	175100.00	0	0
8.	निबलेट–बाराबंकी	दुधारू पशु नही पाले जा रहे है। केवल कृषि कार्य किया जा रहा है।								
9.	नीलगांव–सीतापुर	91172.80	85297.15	-5875.65	110300.00	25921.25	-84378.75	110300.00	0	0
10.	सैदपुर–ललितपुर	241776.00	138507.00	-103269.00	203200.00	53042.00	-150158.00	203200.00	0	0
	योग	**1639746.80**	**1133387.17**	**-506359.63**	**1562400.00**	**371645.80**	**-1190754.20**	**1562400.00**	**0**	**0**

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2025–2026
राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार सांड उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	2023–24			2024–25 (माह–जुलाई 2024 तक)			2025–2026 (अनुमानित)		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1.	आराजीलाइंस–वाराणसी	25	40	+15	29	0	0	29	0	0
2.	आटा–जालौन	बुल रियरिंग प्रक्षेत्र हैं। दुधारू पशु नही पाले जाते है।								
3.	बाबूगढ़–हापुड़	43	64	+21	42	0	0	42	0	0
4.	भरारी–झांसी	37	64	-14	38	0	0	38	0	0
5.	चक गंजरिया स्थान निबलेट–बाराबंकी	83	120	+37	78	0	0	78	0	0
6.	हस्तिनापुर–मेरठ	40	43	+3	34	0	0	34	0	0
7.	मंझरा–खीरी	41	40	-1	34	0	0	34	0	0
8.	निबलेट–बाराबंकी	दुधारू पशु नही पाले जा रहे है। केवल कृषि कार्य किया जा रहा है।								
9.	नीलगांव–सीतापुर	18	27	+9	22	0	0	22	0	0
10.	सैदपुर–ललितपुर	52	66	+14	44	0	0	44	0	0
	योग	**339**	**423**	**+84**	**321**	**0**	**0**	**321**	**0**	**0**

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार फसलों की बुआई एंव उत्पादन का लक्ष्य एंव उपलब्धियों का विवरण

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2023–24			2024–25(माह–जुलाई 23 तक)			2025–26(अनुमानित)		
	क्षेत्र आच्छादन का विवरण है0 में	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	जायद / खरीफ चारा	776.84	756.64	-20.2	726.84	729.24	+2.4	723.94	–	–
	रबी चारा	428.90	428.90	-	430.00	प्रस्तावित		407.00	–	–
	खरीफ चारा बीज	344.10	302.10	-42.00	297.50	297.50		160.00	–	–
	रबी चारा बीज	1125.85	1125.85	-	1150.00	प्रस्तावित		985.44		
	योग	**2675.85**	**2613.46**	**-62.20**	**2604.34**	**1026.74**		**2277.28**	–	–
2	**उत्पादन का विवरण (टन में)**									
	<u>क–हरा चारा</u>									
	1–जायद / खरीफ चारा	25187.60	20367.90	-4819.70	23447.10	चारा फसलों से उत्पादन लिया जा रहा		23552.60	–	–
	2–रबी चारा	17347.50	16083.30	-1264.20	18250.00	प्रस्तावित		15947..50		
	योग	**42535.10**	**36451.20**	**6083.90**	**41697.10**	**-**	**-**	**39500.10**	–	–
	<u>ख–सूखा चारा</u>(टन में)									
	1–खरीफ सूखा चारा	991.26	393.28	-597.98	850.50	फसल की परिपक्वताा पर उत्पादन प्राप्त होगा		432.00.00	–	–
	2–रबी सूखा चारा	17347.50	16083.30	-1264.20	18250.00	प्रस्तावित		3716..80	–	
	योग	**5176.66**	**2227.48**	**-2949.18**	**5090.50**			**4148.80**	–	–
3	**<u>बीज</u> (टन में)**									
	1–खरीफ बीज	206.46	25.23	-181.23	178.50	फसल की परिपक्वताा पर उत्पादन प्राप्त होगा		96.00	–	–
	2–रबी बीज	1652.95	1020.11	-632.84	1672.00	प्रस्तावित		1471.70s	–	–
	योग	**1859.41**	**1045.34**	**-814.07**	**1850.50**	**-**	**-**	**1567.70**	–	–

1– रा0प0एंव कृषि प्रक्षेत्र निबलेट–बाराबंकी पर ऊसर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में खरीफ फसल में 93.00 हे0 में सामान्य धान बीज, रबी फसल के अर्न्तगत 80.00 हे0 जौ की बुआई प्रस्तावित है।

2– लक्ष्य विगत वर्ष से कम होने का मुख्य कारण है कि रा0प0एवं कृषि प्रक्षेत्र हस्तिनापुर–मेरठ से 40.00 हे0कृषि कृत्य भूमि
वन विभाग को तथा बाबूगढ–हापुड से 70.00हे0 कृषि कृत्य भूमि अन्य संस्थाओं को हस्तानान्तरित होने के कारण। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सैदपुर–ललितपुर प्रक्षेत्र की 596.087 हे0 भूमि औद्योगिक विकास विभाग को दिये जाने का निर्णय शासन
स्तर से किया जा चुका है।

चारा एवं चारागाह विकास की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण।

वित्तीय माँग **धनराशि (रू0 लाख में)**

लेखाशीर्षक	**वास्तविक आंकडें**	**आय–व्ययक अनुमान**
	2023–24	**2024–25**
107– चारा एवं चारागाह विकास	199.99	200.00

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमाऩ	आय–व्ययक अनुमान
	2024–25	**2025–26**
107– चारा एवं चारागाह विकास	200.00	200.00

चारा तथा चारागाह विकास

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	**योजनायें**	**वर्ष 2023–24 के वास्तविक आंकडे**	**वर्ष 2024–25**		**वर्ष 2025–26 का अनुमान**
			अनुमान	**वास्तविक**	
1	अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	200.00	500.00	200.00	200.00

पृष्ठभूमिः–

मानव जनसंख्या में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण कृषकों/पशुपालको द्वारा खाद्यान्न फसलों कों प्राथमिकता दिये जानें से चारा फसलों के क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है जिससे पशुओं के लिये हरे चारे की समस्या रहती है जिसके फलस्वरूप पशुओं का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा वह अपने नस्ल क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाते है। वर्ष 2019 की 20बी, पशुगणना के अनुसार उ0प्र0 में 190. 19 लाख गोवंशीय पशु, 330.16 लाख महिषवंषीय पशु, 9.84 लाख भेड, 144.80 लाख उपलब्ध है।

प्रदेश में पाये जाने कुल पशुधन संख्या हेतु आवश्यक हरे चारे,सुखे चारे एवं दाने की सभी श्रोतो को मिलाकर कुल उपलब्धता लगभग 55.85प्रतिशत हरा चारा,एवं 78.89 प्रतिशत सूखा चारा एवं 13.43 प्रतिशत दाना ही प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार 44.15 प्रतिशत हरे चारे, 21.11 प्रतिशत सूखे चारे एवं 84.57 प्रतिशत दाने की कमी है। वर्तमान में चारा खरीफ में 445310 हे0,रबी में 170112 हे0 एवं जायद में 155154 हे0 क्षेत्रफल तथा कुल मिलाकर 770576 हे0 क्षेत्रफल में चारा फसलों की खेती की रही है। उ0प्र0में बोये जाने वाले कृषि क्षेत्रफल का लगभग 4.64 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 7.70 लाख हे0) ही चारा क्षेत्रफल उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है। प्रदेश में उपलब्ध चारा क्षेत्रफल का लगभग 78.28 प्रतिशत (6.03लाख हे0) भाग सिंचित है।

चारे के अर्न्तगत सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में आवश्कता के सापेक्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारा क्षेत्रफल में विस्तार किया जाना,उच्च गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती की आधुनिक प्रणाली (मिश्रित एवं अर्न्तवर्ती खेती) अपनाकर चारा उत्पादन किया जाना सकारात्मक विकल्प है।वर्ष 2024–25 में चारा विकास हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित है।

1–अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

वार्तमान में प्रदेश में चारे की कमी के दृष्टिगत अधिक से अधिक पशुपालकों/कृषकों को हरे चारे के उत्पादन में रूचि उत्पादन करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रमाणित/सत्यापित/अधिसूचत चारा बीज मिनीकिट उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य योजना के अधीन अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु प्रदेश में उपलब्ध पशुधन हेतु समस्त 75 जनपदों में हरा चारा उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल हेतु रू0 500.00 प्रति इकाई (0.1 हे0 क्षेत्रफल) की दर से चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु विवरण निम्नवत है।:–

क0 सं0	**उपलब्ध करायी जाने सामग्री**	**प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (हे0 मे)**	**वित्तीय लक्ष्य (लाख मे)**
1	**2**	**3**	**4**
1	चारा बीज मिनीकिट	4000.00	200.00
	कुल योग	4000.00	200.00

उक्त तालिका के अनुसार चारा बीज मिनीकिट वितरण हेतु धनराशि रू0 200.00 लाख की मांग प्रस्तावित की गयी है।उक्त कार्य योजना वर्ष 2024–25 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में क्रियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल 40000 पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हरा चारा उत्पादन हेतु प्रत्येक जनपद की भौगोलिक स्थिति, सिंचित दशा तथा फसल सीजन के अनुसार चारा उत्पादन मिनीकिट पशुपालकों/कृषिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में मुख्यतः पशुपालन का कार्य लघु एवं सीमांत कृषकों/पशुपालकों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में योजना को व्यापक रूप से पशुपालकों के लाभोन्मुखी बनाने हेतु न्यूनतम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 सीलिंग निर्धारित की गयी है।

उक्त कार्य योजना वर्ष 2024–25 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में क्रियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

योजना का उद्देश्यः–

1– प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने में सहायता करना।
2– पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3– पशुओं हेतु वर्ष पर्यन्त हरा एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना।
4– पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
5– पशुओ के मृत्यु दर में कमी आयेगी।
6– हरे चारे का उत्पादन बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाना।
7– वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता होने की दशा में निराश्रित गोवंशों की संख्या में कमी आयेगी।

2.चारा विकास कार्यक्रम

पशुओं को हरे चारे की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध भूमि पर भारत सरकार से प्रजनक बीज लेकर आधारीय एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन करके बीज का प्रमाणीकरण कराकर प्रदेश के पशुपालक /कृषकों को चारा उत्पादन हेतु उन्नतशील प्रमाणित चारा बीज विभागीय निर्धरित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

- वर्ष 2023–24 में विभागीय प्रक्षेत्रों से पशुपालकों/कृषकों को नकद मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु रबी मौसम में मुख्य पशुचिकित्साधिकाारियों/अन्य संस्थाओं को आवंटित प्रमाणित चारा बीज की मात्राः–

क0स0	**सीजन**	**बीज का नाम**	**मात्रा (कु0 में)**	**दर (रू0/कु0 में)**
1.	रबी	जई(प्रमाणित)	6900.02	3900.00
2.		बरसीम (प्रमाणित)	93.725	16400.00
3.		बरसीम (आधारीय)	19.10	17400.00
योग			7012.845	

- वर्ष 2024–25 में विभागीय प्रक्षेत्रों से पशुपालकों/कृषकों को नकद मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु खरीफ मौसम में मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को आवंटित आधारीय चारा बीज की मात्राः–

क0स0	सीजन	बीज का नाम	मात्रा(कु0में)	दर(रू0/कु0 में)
1	खरीफ	ज्वार (आधारीय)	10.28	5000
2		लोबिया(आधारीय)	1.00	9000
योग			11.28	

3. पशुपालन विभाग उ0प्र0 चारा नीति (2024–29)

पशुपालन विभाग उ0प्र0 चारा नीति (2024–29)को निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागू किया गया है।

- प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना ।
- प्रदेश में वर्ष–पर्यन्त गुणवत्तापरक व पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।
- पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमिता एवं क्षमता विकास करना।
- प्रदर्शन/प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार के क्षेत्र में वृद्धि करना।

चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग में लाने हेतु एवं साइलेज के रूप में तैयार कर उपयोग करने हेतु कृषकों को जागरूक करना।

प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण

परिचयात्मक/उद्देश्यः–

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन पदार्थो की उपलब्धता बढाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है ।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रमों का प्रचार एंव प्रसार किया जा रहा हैः–

1– अखिल भारतीय पशुधन एंव कुक्कुट प्रदर्शनी तथा अन्य पशुधन प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

2– मंडल/जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों ,पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन ।

3– प्रचार प्रसार साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एंव प्रदर्शन आदि ।

4– गोष्ठी ,पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ।

विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत करायी गयी गोष्ठियां/मेला

कार्यक्रम	वर्ष–2023–24		वर्ष–2024–25		वर्ष–2025–26	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1–पशुपालक गोष्ठियां/मेला	2481	2481	2481	–	**2481**	–
2–पशुपालक प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–
3– साहित्य प्रकाशन	1	**1**	1	1	–	–

नोटः– जनपदों/मंडल स्तर पर आयोजनेत्तर/आयोजनागत योजनाओं में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने का प्राविधान है ।

अ–उत्पादकता

क्र0 स0	पशुजन्य पदार्थ का नाम		पशु प्रजाति का नाम	इकाई	औसत उत्पादन प्रति पशु/पक्षी प्रतिदिन	
					2022-23	2023-24
1	**दुग्ध उत्पादन**	क	विदेशी गाय	किग्रा0	9.76	9.990
		ख	क्रास ब्रीड गाय	किग्रा0	8.27	8.53
		ग	स्वदेशी गाय	किग्रा0	4.06	4.500
		ध	अवर्णित गाय	किग्रा0	3.25	3.496
		ड	स्वदेशी भैंस	किग्रा0	5.62	5.793
		च	अवर्णित भैंस	किग्रा0	4.32	4.568
		क्ष	बकरी	किग्रा0	0.820	0.844
2	**ऊन उत्पादन**					
			भेड़	किग्रा0	0.995	0.996
					उत्पादन प्रति पक्षी प्रतिवर्ष	
3	**अण्डा उत्पादन**	क	अवर्णित	संख्या	180.813	193.920
		ख	उन्नतिशील	संख्या	260.233	220.650

ब—उत्पादन स्तर

वर्ष	लक्ष्य	विगत वर्ष के लक्ष्य में वृद्धि	पूर्ति	विगत वर्षो की पूर्ति में वृद्धि/हास	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति का प्रतिशत
दुग्ध (लाख मी0 टन में)					
2020—21	401.00	8.54	313.591	—1.58	78.20
2021—22	435.00	8.48	338.736	8.02	77.87
2022—23	450.98	3.67	362.417	6.99	80.36
2023—24	403.00	—10.64	387,795	7.00	96.23
अण्डा(मिलियन)					
2020—21	3500.00	9.02	3628.891	6.58	103.68
2021—22	3885.00	11.00	4041.168	11.36	104.02
2022—23	4108.09	5.75	4558.548	12.80	110.97
2023—24	5401.88	31.49	5920,669	28.88	109.60
ऊन(लाख किग्रा0 में)					
2020—21	14.87	1.99	8.863	—33.29	59.60
2021—22	15.16	1.95	8.151	—8.03	53.77
2022—23	15.63	3.10	8.19	0.48	52.40
2023—24	8.37	—46.45	8.29	1.22	99.04
मांस (हजार मी0 टन)					
2020—21	1510.74	5.00	1037.550	—11.02	68.68
2021—22	1586.00	4.98	1127.600	8.68	71.10
2022—23	1655.25	4.37	1191.770	5.69	72.00
2023—24	1346.70	—18.64	1259.770	5.71	93.54

उपलब्धियां

- वर्ष 2022—23 मे 362.417 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन हुआ ।
  वर्ष 2023—24 मे 387.795 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2022—23 मे 4558.548 मिलियन अण्डा उत्पादन हुआ ।
  वर्ष 2023—24 मे 5920.669 मिलियन अण्डा उत्पादन हुआ।
- वर्ष 2022—23 मे प्रदेश मे 1191.770 हजार मी0 टन मांस उत्पादन हुआ ।
  वर्ष 2023—24 मे प्रदेश 1259.779 हजार मी0 टन मांस उत्पादन हुआ।
- वर्ष 2022—23 मे प्रदेश मे 8.190 लाख किग्रा0 ऊन उत्पादन हुआ ।
  वर्ष 2023—24 मे प्रदेश 8.294 लाख किग्रा0 ऊन उत्पादन हुआ ।

पशुधन का स्तर

पशुगणना 2012 (19वीं पशुगणना) व वर्ष 2019 (20 वी पशुणना) के अनुसार प्रदेश मे पशुधन संख्या निम्नलिखित तालिका मे दर्शित है–

उत्तर प्रदेश मे 19 वी व 20 वीं पशुगणना मे प्रजातिवार वृद्वि / हास का विवरण–

पशु प्रजाति का विवरण	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 (लाख मे)	पशुओं की संख्या वर्ष 2019 (लाख मे)	वृद्वि / हास का प्रतिशत
1– विदेशी और क्रासबेड गोवंशीय	35.79	61.23	71.08
दूध दे रही	12.15	22.67	86.58
सूखी	4.45	6.84	53.71
दुधारु	16.6	29.51	77.77
प्रजनन योग्य	17.96	30.65	70.66
2– स्वदेशी गौवंशीय	159.78	128.97	-19.28
दूध दे रही	46.68	39.37	-15.66
सूखी	19.27	16.52	-14.27
दुधारु	65.95	55.89	-15.25
प्रजनन योग्य	71.12	58.71	-17.45
3– कुल गौवंशीय	195.57	190.2	-2.75
दूध दे रही	58.83	62.04	5.46
सूखी	23.72	23.36	-1.52
दुधारु	82.55	85.4	3.45
प्रजनन योग्य	89.08	89.36	0.31
4– महिषवंशीय			
कुल महिषवंशीय	306.25	330.17	7.81
दूध दे रही	105.38	113.2	7.42
सूखी	34.12	33.01	-3.25
दुधारु	139.5	146.21	4.81
प्रजनन योग्य	151.03	153.12	1.38
भेड	13.54	9.85	-27.25
बकरी	155.86	144.8	-7.10
सूकर	13.34	4.09	-69.34
अन्य पशुधन	2.6	1.03	-60.38
कुल पशुधन	697.25	691.98	-0.76
कुक्कुट	186.68	125.16	-32.95

नोट– पशुगणना वर्ष 2012 व वर्ष 2019 के कुल पशुधन मे छुट्टा गौवंशीय कमशः 10.09 लाख एवं 11. 84 लाख को शामिल किया गया है।

800— अन्य व्यय
वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय मांग

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय—व्ययक अनुमान
	2023—24	**2024—25**
800— अन्य व्यय	19088.58	21973.88
लेखाशीर्षक	**पुनरीक्षित अनुमान**	**आय—व्ययक अनुमान**
	2024—25	**2025—26**
800— अन्य व्यय	18224.34	21973.88

संयुक्त निदेशक,गोशाला

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर के अन्तर्गत गोशालाओं के विकास की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिपेक्ष्य में निम्नांकित योजनाएं चलाई जा रही हैः— **1—योजना का नामः—** (अ) योजना का उद्‌देश्य	**उ0प्र0 गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना** प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्वर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने गौ कल्याण संबधी अधिनियमों उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ0प्र0 गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्व करते हुए इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुए गति प्रदान की जा रही है। और इन्हें आर्थिक विकास के पद पर अग्रसर होने में पथ प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनांतर्गत आयोग के कार्यालय के संचालन एवं कार्यकलापों के सूचारू संचालन एवं कियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है। उ0प्र0 गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय के संचालन आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यो के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री व फार्मो की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयत्रों का कम के साथ—साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधांऐं हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुकम में वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु रू0—100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0—50.00लाख उ0प्र0 गोसेवा आयोग के खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

1. **<u>प्रदेश के समस्त जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रो की स्थापना(रा0यो0)</u>**

चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश के निराश्रित/ बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिए रू0 160.12 लाख प्रति केन्द्र कीदर से उपाशयित कुल व्यय भार रू0 14.000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 मे प्रथम किश्त के रूप में रू0 80.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से 66 केन्द्रो एवं द्वितीय किश्त (@80.12लाख) के रूप में 79 वृहद गो संरक्षण केन्द्रो के निर्माण हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था को धनराशि रू0 11614.76 लाख निर्गत किया जा चुका है।

2. **<u>छुट्टा गोवंश के रख रखाव हेतु (रा0यो0)</u>**

योजनान्तर्गत प्रदेश में विद्यमान निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के दृष्टिगत अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर रखे गये गोवंशों एवं मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सुपुर्द गोवंशो के भरण–पोषण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में (धनराशि रू0–1,00000.00 लाख (रू0 10 अरब मात्र) का बजटीय प्राविधान हैं। माह नवम्बर, 2024 को पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 3.000.00लाख प्राप्त हुयी है। जिसके सापेक्ष माह 24 ,दिसम्बर, 2024 तक कुल धनराशि रू0 13,0000.00 लाख में से जनपदों से प्राप्त फण्ड रिक्वेस्ट/मांग के अनुसार धनराशि रू0–125561.32 जनपदों में स्थापित गौआश्रय स्थलों व मा0 मुख्यमत्री सहभागिता के लाभार्थियों को डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त धनराशि रू0 1,00000.00लाख (रू0 10 अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुपूरका बजट से स्वीकृत हो गयी है।

चर्म शोधन एवं पशु शव का उपयोग

लेखाशीर्षक–0403 पशुपालन –राजस्व प्राप्तियाँ	वर्ष 2023–24 वास्तविक	वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26 का अनुमान	अभियुक्ति
		अनुमानित	पुनरीक्षित		
04–लोथ उपयोग केन्द्रों से आय					
प्रशिक्षण एंव उत्पादन का मद					
पशु शव उपयोग शाखा					–
1. कच्ची खाल (अदद में)	90	150	150	150	वर्ष 2024–2025 के अनुमानित/पुनरीक्षित तथा वर्ष 202के अनुमानित आंकड़े फील्ड से प्राप्त मृत पशु शवों की संभावना पर आधारित है।
2. मीट कम बोन मील (किग्रा में)	1258.50	1200	1200	1200	
3. चर्बी (किग्रा में)	–	40	40	40	
4. जानवरों की सींग(जोंडो में)	09	50	50	50	
5. जानवरों के पूछ के बाल (किग्रा में)	0.930	0.800	0.800	0.800	
<u>प्रशिक्षण</u>					
6. प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की संख्या (चार मासीय)	–	20	20	20	
चर्म शोधन शाखा					–
1. वनस्पति शोधित (सोल/इनसोल लेदर कि0ग्रा0 में)	–	40	20	40	वर्ष 2024–2025 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित लक्ष्य के अन्तर का कारण प्रशिक्षार्थियों की निर्धारित संख्या 20 के सापेक्ष 11 होना, संसाधनों का अभाव तथा मशीनों का जीर्ण–छीण स्थिति में होना है।
2. क्रोम अपर लेदर (वर्ग डे0सी0मी0 में)	–	6500	2500	6500	
3. रेगूलर हाईड एण्ड स्किन, शोधन (अदद में)	195	504	200	504	
<u>प्रशिक्षण</u>					
4. प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की संख्या (एक वर्षीय)	09	20	11	20	
फुटवियर एवं लेदर गुड्स					–
1. फुटवियर (जोड़ी में)	14	120	50	200	वर्ष 2024–2025 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित आंकडो़ में अन्तर का कारण अन्तर का कारण प्रशिक्षार्थियों की संख्या में कमी होना तथा संसाधनों का जीर्ण–क्षीर्ण होना है।
2. लेदर गुड्स (अदद में)	34	100	60	200	
<u>प्रशिक्षण</u>					
3. प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की संख्या (एक वर्षीय)	12	20	14	20	

अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक–0403–पशुपालन –राजस्व प्राप्तियों का अनुमान वर्ष 2025–26

(धनराशि रूपये में)

क्रमांक	लेखाशीर्षक–0403–पशुपालन राजस्व प्राप्तियॉ	वास्तवित आकड़े 2023–24	आय अनुमान 2024–.25	पुनरीक्षित आय अनुमान 2024–25	आय व्ययक अनुमान 2025–26
1	**103–मुर्गीपालन के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01–उ0प्र0 पशुपालन विभाग के निदेशक के अधीन कुक्कुट प्रक्षेत्रों से प्राप्तियाँ	4421418	5250000	5250000	5775000
2	**104–भेड़ पालन एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01– भेड़ पालन एवं ऊन विकास से प्राप्तिया	2310033	1867500	2367500	2404250
3	**105–सूकर पालन के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01–सूकर पालन के विकास से प्राप्तिया	13389492	10775000	12275000	12852500
4	**106–चारे और चारागाह के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01– चारे और चारागाह के विकास से प्राप्तिया	49816820	145000000	145000000	152250000
5	**108–अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01–अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियाँ	2334122	6130000	2630000	2693000
6	**501–सेवायें और सेवा शुल्कः–**				
	01– सेवायें और सेवा शुल्क	0	31767765	31767765	57649117
7	**800–अन्य प्राप्तियाँः–**				
	01–पशुपालन विभाग के निदेशक के अधीन प्राप्तियाँ	0	20000	20000	22000
	02–अधिक भुगतान से वसूलियाँ	136660	6000	6000	6600
	03–इमारतो का किराया	119217	281500	321500	315650
	04–लोथ उपयोग केन्द्रों से आय	7926605	76000	67000	71000
	05–निदेशक, पशुपालन के नियंत्रण के अधीन दूध और दूध से बनाई अन्य वस्तुओं की बिक्री से आय	39135579	78750000	78750000	86625000
	06–अभिजनन और गर्भित कराने की फीस और पशुओं की बिक्री से आय	51754042	1393364	50770000	70847000
8	**99–प्रकीर्ण प्राप्तियाँ**	8586448	11580000	11600000	12745000
	महा योग	**179930436**	**292897129**	**340824765**	**404256117**

प्रारूप संख्या–1

श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों के पदों की दिनांक 01.04.2024 के अनुसार स्थिति

क0 सं0	विभिन्न संवर्ग के पदो के पदनाम	दि0 01.04.2024 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7 वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह (क, ख)	अभियुक्ति
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान (रू0)	सादृश्य मैट्रिक्स लेबल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निदेशक प्रशासन एवं विकास	1	0	1	0	1	144200–218200	14	क	
2	निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र	0	1	1	1	0	144200–218200	14	क	
3	अपर निदेशक ग्रेड–1	4	0	4	0	4	131100–216600	13 क	क	
4	वित्त नियंत्रक	1	0	1	1	0	131100–216600	13 क	क	
5	अपर निदेशक ग्रेड–2	20	1	21	11	10	123100–215900	13	क	
6	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	1	1	0	78800–209200	12	क	
7	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	73	2	75	58	17	78800–209200	12	क	
8	संयुक्त निदेशक	67	0	67	29	38	78800–209200	12	क	
9	संयुक्त निदेशक (सांख्यकीय)	1	0	1	0	1	78800–209200	12	क	
10	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / उप निदेशक / अधीक्षक	468	0	468	441	27	67700–208700	11	क	
11	उप निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	67700–208700	11	क	
12	प्रधानाचार्य, बी0के0टी0, लखनऊ	1	0	1	0	1	67700–208700	11	क	
13	उपनिदेशक (सॉख्यकीय)	1	1	2	0	2	67700–208700	11	क	
14	पशु चिकित्साधिकारी	1400	584	1984	1467	517	56100–177500	10	ख	
15	सहायक निदेशक (प्रचार)	1	0	1	0	1	56100–177500	10	ख	
16	पशुधन विपणन अधिकारी	1	0	1	1	0	56100–177500	10	ख	
17	प्रोग्रामर (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	1	0	1	0	1	56100–177500	10	ख	
18	सांख्यिकीय अधिकारी	4	2	6	0	6	56100–177500	10	ख	
19	वित्त एवं लेखाधिकारी	16	0	16	7	9	56100–177500	10	ख	
20	प्रक्षेत्र प्रबंधक (कृषि संवर्ग)	6	0	6	5	1	56100–177500	10	ख	
21	कृषि अधिकारी	0	1	1	0	1	56100–177500	10	ख	
22	चारा विकास अधिकारी	2	0	2	1	1	56100–177500	10	ख	
23	सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	56100–177500	10	ख	
24	सहायक लेखाधिकारी	2	0	2	2	0	47600–151100	8	ख	
25	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	1	0	47600–151100	8	ख	
26	ऊन विपणन अधिकारी	0	1	1	0	1	44900–142400	7	ख	

27	ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	44900—142400	7	ख	
28	लाइव स्टाक इन्टेलीजेंस	1	0	1	0	1	44900—142400	7	ख	
29	क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी/ लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	8	0	8	0	8	44900—142400	7	ख	
30	चर्म विकास अधिकारी	1	0	1	0	1	44900—142400	7	ख	
31	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	58	23	81	64	17	44900—142400	7	ख	
32	प्रशासनिक अधिकारी	18	0	18	18	0	44900—142400	7	ख	
	योगः—	**2158**	**615**	**2758**	**2147**	**627**				

अराजपत्रित

क्र0 सं0	विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	01.04.2024 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह (ग अथवा घ)	अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल		
	1	2	0	4	5	6	7	8	9	10
	अराजपत्रित									
1	पशुधन प्रसार अधिकारी	2840	276	3116	2033	1083	29200—92300	5	ग	
2	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	121	0	121	0	121	35400—112400	6	ग	
3	कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	0	1	1	0	35400—112400	6	ग	
4	डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	0	5	5	0	29200—92300	5	ग	
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	2	0	2	2	0	29200—92300	5	ग	
6	केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	0	4	1	3	29200—92300	5	ग	
7	ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	1	0	1	0	1	29200—92300	5	ग	
8	एयर कंडिशनर आपरेटर	1	0	1	1	0	29200—92300	5	ग	
9	एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	6	17	29200—92300	5	ग	
10	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	0	9	3	6	29200—92300	5	ग	
11	प्रचार निरीक्षक	1	0	1	1	0	25500—81100	4	ग	
12	प्रचार पर्यवेक्षक	4	0	4	0	4	21700—69100	3	ग	
13	कलाकार	1	0	1	0	1	35400—112400	6	ग	
14	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	35400—112400	6	ग	
15	इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यॉत्रिक	12	0	12	4	10	25500—81100	4	ग	
16	प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	35	70	29200—92300	5	ग	
17	कनिष्ठ सहायक	340	0	340	404	.64	21700—69100	3	ग	64 अधिसंख्य
18	कनि0 सहा0 सह उर्दू अनुवादक	0	30	30	28	2	19900—63200	2	ग	सीधी भर्ती का पद
19	वरिष्ठ सहायक	210	0	210	205	5	29200—92300	5	ग	प्रोन्नति का पद
20	प्रधान सहायक	58	6	64	63	1	35400—112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
21	लेखाकार	105	0	105	26	79	35400—112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
22	सहायक लेखाकार	35	0	35	4	31	29200—92300	5	ग	सीधी भर्ती का पद
23	कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	0	3	0	3	25500—81100	4	ग	
24	वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	0	12	2	10	35400—112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
25	आशुलिपिक	14	0	14	7	7	29200—92300	5	ग	सीधी भर्ती का पद

26	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9	0	9	1	8	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
27	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	4	0	4	4	0	44900–142400	7	ग	प्रोन्नति का पद
28	वाहन चालक	157	38	195	111	84	19900–63200	2	ग	
29	सहायक कृषि अधिकारी	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
30	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
31	ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	0	8	2	6	35400–112400	6	ग	
32	सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	
33	वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
34	क्षेत्र अधीक्षक	3	0	3	2	1	35400–112400	6	ग	
35	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
36	कृषि निरीक्षक	3	0	3	3	0	29200–92300	5	ग	
37	सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
38	प्रक्षेत्र सहायक	6	0	6	6	0	29200–92300	5	ग	
39	स्नातक सहायक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
40	पशुशाला पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
41	डेरी प्रभारी	3	0	3	3	0	29200–92300	5	ग	
42	डेरी एवं पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
43	सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
44	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
45	संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
46	चारा निरीक्षक	10	0	10	10	0	29200–92300	5	ग	
47	संवर्धन(कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	0	8	8	0	25500–81100	4	ग	
48	संवर्धन(कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	0	9	9	0	25500–81100	4	ग	
49	सहायक कृषि निरीक्षक	4	0	4	4	0	25500–81100	4	ग	
50	सहायक संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	2	0	2	2	0	25500–81100	4	ग	
51	सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
52	डेरी सहायक	4	0	4	4	0	25500–81100	4	ग	
53	पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
54	सहायक डेरी प्रभारी	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
55	डेरी पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
56	चारा निरीक्षक	2	0	2	2	0	25500–81100	4	ग	
57	विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	0	7	0	7	29200–92300	5	ग	
58	पशुधन विपणन निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
59	ऊन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
60	बिन निरीक्षक	2	0	2	1	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
61	भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
62	भण्डार पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
63	चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	49	0	49	2	47	44900–142400	7	ख	प्रोन्नति का पद
64	वेटनरी फार्मासिस्ट	1727	232	1959	800	1159	29200–92300	5	ग	
65	प्रभारी अधिकारी(फार्मेसी)	23	0	23	0	23	47600–151100	8	ख	प्रोन्नति का पद
66	फोरमैन मैकेनिक	2	0	2	2	0	35400–112400	6	ग	
67	ट्रेक्टर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200–92300	5	ग	
68	ट्रैक्टर आपरेटर	56	0	56	26	30	19900–63200	2	ग	
69	चिक सेक्सर	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
70	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	12	0	12	0	12	35400–112400	6	ग	
71	अवर अभियन्ता	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	
72	मैकेनिक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	

73	ट्रैक्टर आपरेटर,बी0के0टी0	1	0	1	0	1	25500—81100	4	ग	
74	डिजायनर कम क्लीनर / वाटनर कम फिनीशर / प्राविधिक सहायक कम चालक	9	0	9	9	0	29200—92300	5	ग	
75	मैकेनिक कम प्लॉण्ट आपरेटर	1	0	1	0	1	19900—63200	2	ग	
76	व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	0	1	0	1	19900—63200	2	ग	
77	चर्म निरीक्षक	6	0	6	6	0	29200—92300	5	ग	
78	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	0	2	35400—112400	6	ग	
79	प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	0	5	0	5	29200—92300	5	ग	
80	गोसदन मैनेजर	4	0	4	2	2	29200—92300	5	ग	
81	ड्रेसर	152	143	295	187	108	18000—56900	1	घ	
82	चपरासी / अर्दली / परिचर / चौकीदार / दफ्तरी / स्वीपर / फार्म मैकेनिक / पशु0 मिस्त्री / गट मास्टर / अर्धकुशल श्रमिक, शववाहक, मशीन क्ली0 / माली	5242	1564	6806	3449	3357	18000—56900	1	घ	
	योग	**11442**	**2317**	**13759**	**7510**	**6249**				

पशुपालन विभाग उ0प्र0 का संगठनात्मक ढॉचा

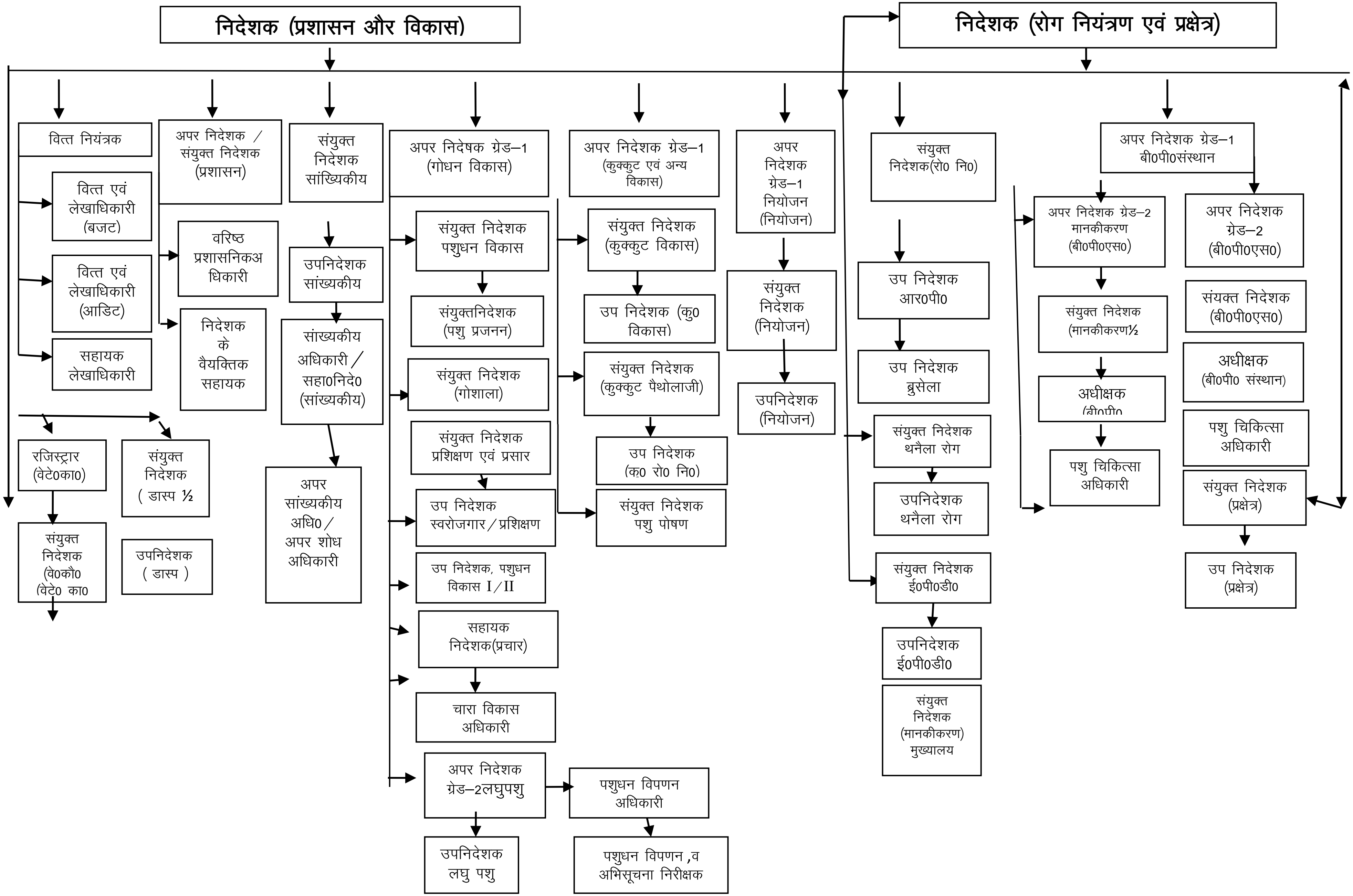

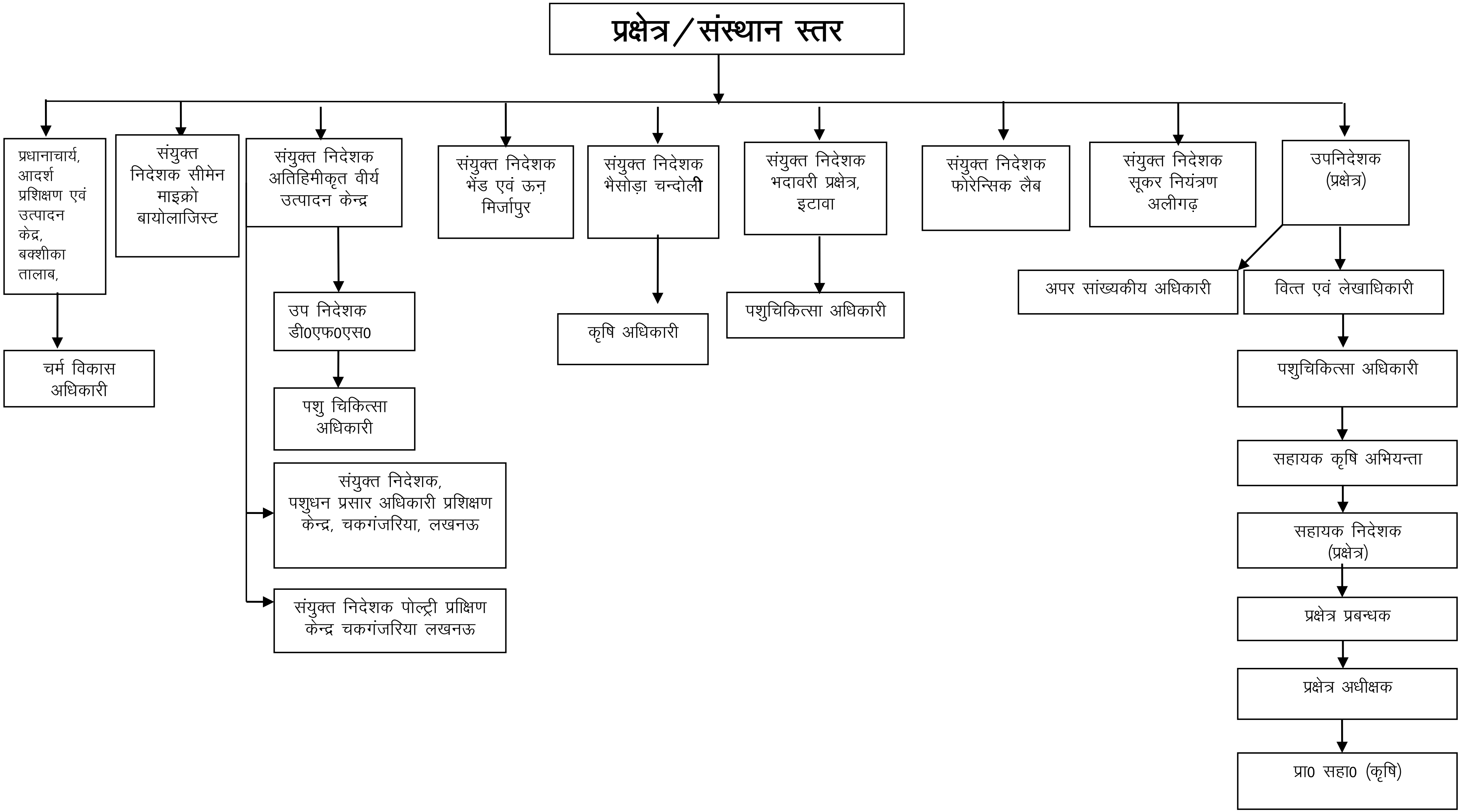
प्रक्षेत्र/संस्थान स्तर
प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केद्र, बक्शीका तालाब,
चर्म विकास अधिकारी
संयुक्त निदेशक सीमेन माइक्रो बायोलाजिस्ट
संयुक्त निदेशक अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र
उप निदेशक डी0एफ0एस0
पशु चिकित्सा अधिकारी
संयुक्त निदेशक, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, चकगंजरिया, लखनऊ
संयुक्त निदेशक पोल्ट्री प्रिक्षिण केन्द्र चकगंजरिया लखनऊ
संयुक्त निदेशक भेंड एवं ऊन मिर्जापुर
संयुक्त निदेशक भैसोड़ा चन्दोली
कृषि अधिकारी
संयुक्त निदेशक भदावरी प्रक्षेत्र, इटावा
पशुचिकित्सा अधिकारी
संयुक्त निदेशक फोरेन्सिक लैब
संयुक्त निदेशक सूकर नियंत्रण अलीगढ़
उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)
अपर सांख्यकीय अधिकारी
वित्त एवं लेखाधिकारी
पशुचिकित्सा अधिकारी
सहायक कृषि अभियन्ता
सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)
प्रक्षेत्र प्रबन्धक
प्रक्षेत्र अधीक्षक
प्रा0 सहा0 (कृषि)

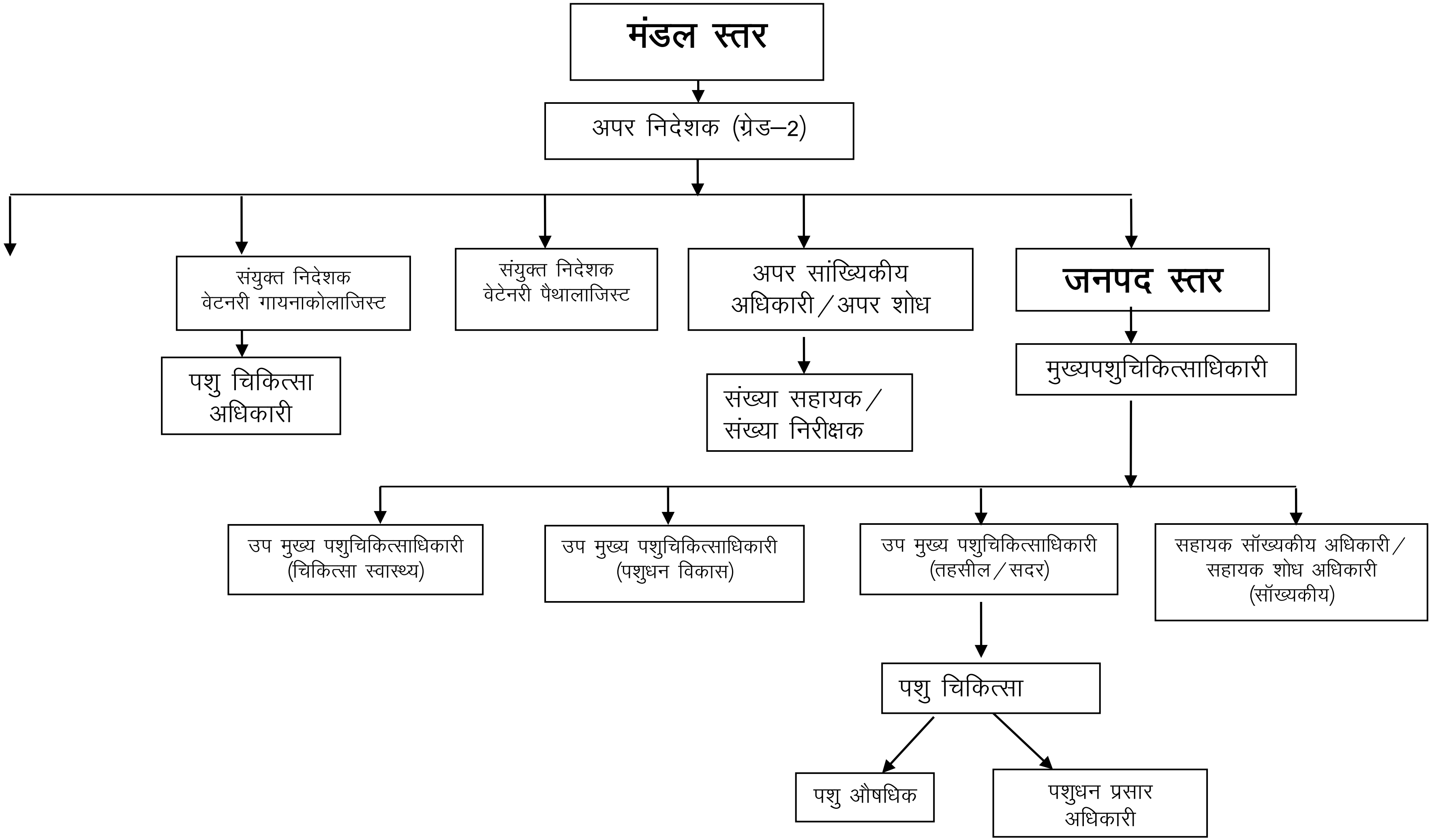
मंडल स्तर
अपर निदेशक (ग्रेड–2)
संयुक्त निदेशक वेटनरी गायनाकोलाजिस्ट
पशु चिकित्सा अधिकारी
संयुक्त निदेशक वेटनरी पैथालाजिस्ट
अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध
संख्या सहायक/ संख्या निरीक्षक
जनपद स्तर
मुख्यपशुचिकित्साधिकारी
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (चिकित्सा स्वास्थ्य)
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (पशुधन विकास)
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (तहसील/सदर)
सहायक सॉख्यकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सॉख्यकीय)
पशु चिकित्सा
पशु औषधिक
पशुधन प्रसार अधिकारी